

df" k mit e.Mh lfevr] f'keyk ,o fdUukj] fLFkr <yh f'keyk&171012 d y[kkvk dk
vid{k.k o fujh{k.k ifronu

vof/k 01-04-2010 l 31-03-2011

Hkkx&, d

1 %i% ikjfeHkd %&

कृषि उपज मण्डी समिति, षिमला एवं किन्नौर, स्थित ढली षिमला-12 के अवधि 01.04.10 से 31.03.11 के लेखाओं का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकी उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 48(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के ज्ञापन संख्या 1-487/99-फिन(एल0ए0)खण्ड-1-554, दिनांक 20.01.2000 की अनुपालना में अनुभाग अधिकारी (ले0प0) तथा कनिष्ठ लेखा परीक्षा द्वारा पूर्वांकेक्षण के आधार पर किया गया।

लेखा परीक्षा अवधि के दौरान मण्डी समिति के षिमला कार्यालय में निम्नलिखित पदाधिकारी कार्यरत रहे :-

Øe	inkf/kdkjh dk uke o	dk;ky; dk uke	vof/k
l0	inuke		

-
- | | | |
|---|---|--|
| 1 | श्री ज्ञान सिंह चन्देल, कृषि उपज मण्डी समिति
अध्यक्ष | 01.04.10 से 31.03.2011
षिमला एवं किन्नौर स्थित
ढली, षिमला-12 |
| 2 | श्री अनिल चौहान, सचिव | कृषि उपज मण्डी समिति
षिमला एवं किन्नौर स्थित
ढली, षिमला-12 |

अंकेक्षणधीन अवधि में गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	₹94,000/-की अग्रिम राशि का समायोजन न करना।	6
2	दुकानों के किराए के रूप में ₹26,20,894 की शेष वसूली।	7
3	लाईसैंसधारियों द्वारा व्यापार शून्य दर्शाना।	8
4	मण्डी शुल्क की वसूली न करने के कारण ब्याज के रूप में मण्डी समिति को हानि	9
5	विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों से देय मण्डी शुल्क से कम वसूली किए जाने के फलस्वरूप मण्डी समिति को सम्भावित हानि।	10
6	विभिन्न व्यापारियों द्वारा कई-कई महीनों का मण्डी शुल्क एक साथ जमा करने के फलस्वरूप मण्डी समिति को ब्याज के रूप में हुई लाखों रुपयों की सम्भावित हानि।	11
7	नाकाचौकी बालूगंज, नैरीपुल, बानीपुल तथा कुडडू में गैर लाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की ₹53,962/-की कम वसूली के कारण मण्डी समिति को सम्भावित हानि।	12
8	रोकड़ बही में पाई गई गम्भीर अनियमितताएँ रोकड़ बही में ₹7,56,777 की आय की प्रविष्टि न करना ₹20,000 के खर्च का रोकड़ बही में इन्द्राज न करना ₹2,67,194 के चैक को रद्द करने पर उसका रोकड़ बही में इन्द्राज न करना तथा ₹2,58,245 की अदायगी समिति द्वारा अपने स्तर पर ही करना	16 16(ii) 16(iii) 16(v)
9	₹99,47,377 के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना	17(ii)
10	मण्डी समिति द्वारा विभिन्न बचत खातों में अत्याधिक राशि रखने के परिणामस्वरूप मण्डी समिति को प्राप्त योग्य ब्याज की सम्भावित हानि।	18

11	मण्डी समिति द्वारा विभिन्न सावधि जमाओं को वर्ष 2010-11 में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंकों में निवेशित न करवा कर कम ब्याज दर पर अन्य बैंकों में निवेशित करने के परिणामस्वरूप ₹2,54,853/-की हानि।	19
12	वाहन में पेट्रोल की खपत, निर्धारित खपत दर से अधिक होने के कारण ₹14,538 के पेट्रोल की अधिक खपत	22

iii) vk; rFkk 0;; d L=kr d ckj e %&

d e.Mh lfer dh vk; d L=kr fuEu idkj l g %&

- (1) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 44 व हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम, 2006 के नियम 35 के अन्तर्गत मण्डी समिति के लाईसेन्सधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क तथा धारा 75 के अन्तर्गत दोषी व्यापारियों से जुर्माना शुल्क के रूप में प्राप्त आय।
- (2) मण्डी समिति द्वारा निर्मित दुकानों, गोदामों, विश्राम गृहों तथा भवनों से किराए के रूप में प्राप्त आय तथा मण्डी समिति द्वारा स्थापित धर्मकांटे पर तुलाई शुल्क के रूप में प्राप्त आय।
- (3) मण्डी समिति के विभिन्न फार्मों के विक्रय से प्राप्त आय।
- (4) मण्डी समिति द्वारा विभिन्न बैंकों में सावधि जमा योजना तथा बचत खातों में निवेश की गई राशियों पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय।
- (5) मण्डी समिति ढली के मुख्य द्वार से प्रवेश पर ट्रकों व अन्य वाहनों से प्रवेश शुल्क के रूप में प्राप्त आय।
- (6) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 40(3) के अन्तर्गत कृषि उपज से जुड़े व्यापारियों से पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त आय।
- (7) अन्य आय

k e.Mh lfefr }kj lkekU;r fuEufyf[kr enk ij 0;; fd;k tkrk g %&

कृषि उपज मण्डी समिति, षिमला एवं किन्नौर द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान निम्नलिखित मदों पर व्यय किया गया :-

- (1) मानदेय, वेतन, मजदूरी तथा अन्य विभिन्न भत्तों पर व्यय तथा कार्यालय व्यय।
- (2) कार्यालय मशीनरी व उनकी मरम्मत इत्यादि पर व्यय।
- (3) मण्डी समिति के वाहन के पेट्रोल व मरम्मत इत्यादि पर व्यय।
- (4) डिपोजिट कार्य के विरुद्ध करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों, विभिन्न सम्पर्क मार्गों व खच्चर मार्गों के निर्माण में संलिप्त व्यय।
- (5) कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों पर व्यय।
- (6) हिमाचल प्रदेश सरकार को अंकेक्षण सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के एवज़ में देय अंकेक्षण शुल्क से सम्बन्धित व्यय।
- (7) कर्मचारियों को प्रशिक्षण, अन्य प्रशिक्षण षिविरो व विज्ञापनों पर व्यय।
- (8) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औधानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 49(3) के अर्न्तगत कृषि उपज मण्डी समिति के अधिनियम की धारा 44 के अर्न्तगत एकत्रित मण्डी शुल्क का 25 प्रतिषत भाग हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि उपज विपणन बोर्ड को देने में संलिप्त व्यय।
- (9) कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा यात्रा/दैनिक भत्ते आदि पर व्यय।
- (10) अन्य व्यय

iv} xr vdf{k.k ifronu %&

कृषक उपज मण्डी सीमति षिमला एवं किन्नौर स्थिति ढली षिमला के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों तथा गत अंकेक्षण आपत्तियों/अधियाचनाओं का सार भाग-3 में दिया गया है।

Hkkx&nk

2 oreku vdf{k.k %&

(i) कृषि उपज समिति षिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, षिमला-12 के अवधि 01.04.2010 से 31.03.2011 के लेखाओं का अंकेंक्षण व निरीक्षण श्रीमति इन्दिरा वर्मा, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) तथा श्री राज कुमार शर्मा, लेखा परीक्षक द्वारा पूर्वांकेंक्षण प्रणाली के आधार पर कृषि उपज मण्डी समिति के ढली स्थित मुख्यालय में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाए गए हैं।

(ii) कृषि उपज समिति षिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, षिमला-12 द्वारा निम्नलिखित अभिलेख अंकेंक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए हैं :-

- (1) उप-मण्डी कोटी से सम्बन्धित किराया रजिस्टर। यह रजिस्टर वर्ष 2003-04 से अघतन अंकेंक्षण के बार-बार अनुरोध के पश्चात भी अंकेंक्षण को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
- (2) उप-मण्डी नेरवा में वर्ष 2005-06 में आबंटित की गई दुकानों की प्राप्त प्रतिभूति राशि का रजिस्टर एवं उक्त वर्ष में आबंटित दुकानों से प्रति माह प्राप्त किराए का रजिस्टर।
- (3) चल एवं अचल सम्पत्ति रजिस्टर।
- (4) ब्याज खाता रजिस्टर।
- (5) प्रगतिशील कार्य रजिस्टर।
- (6) मण्डी समिति की वर्ष 2010-11 की सही वित्तीय स्थिति
- (7) माहवार बैंकों की बैंक समाधान विवरणिकाएँ।

3 यलकक िजलकक 'कYद %&

वर्ष 2010-11 के लेखों के अंकेंक्षण हेतु अंकेंक्षण शुल्क ₹11,13,220 आंका गया तथा अंकेंक्षण शुल्क की राशि कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा चैक संख्या 166710, दिनांक 15.09.2011 के माध्यम से स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश षिमला-9 के मुख्यालय को प्रेषित की जा चुकी है।

4 लगक; रक वुंकु %&

अंकेंक्षण द्वारा पत्र संख्या 345, दिनांक 05.12.2011 तथा स्मरण पत्र संख्या 391, दिनांक 10.02.2012 द्वारा मण्डी समिति कार्यालय से सहायता अनुदान के सन्दर्भ में अपेक्षित सूचनाएँ अंकेंक्षण को उपलब्ध करवाए जाने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में मण्डी समिति कार्यालय द्वारा उनके पत्र संख्या: ए0पी0एम0सी0/एस0एम0एल-1-14/99-3770, दिनांक 17.02.12 द्वारा सूचित किया है कि दिनांक 22.03.

2011 को बैंक संख्या: 543308 द्वारा फल मण्डी भट्ठाकुपर के निर्माण हेतु ₹28,26,000 का केन्द्रीय सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है।

5 okf'kd y[kk] foUkh; fLFkfr rFkk fuo'k e vfu;ferrk, %&

%i% o'k 2010&11 d okf'kd y[k %&

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखे मै0 डी0वी0 चावला एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट से तैयार करवाए गए हैं तथा उक्त लेखों की सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति भिमला व किन्नौर द्वारा जारी प्रति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ यथा अनुलग्नक "ए" पर संलग्न है। इन लेखों की अंकेक्षण द्वारा विधिवत संविक्षा के उपरान्त इन्हें मण्डी समिति कार्यालय को अंकेक्षण के पत्र संख्या 453, दिनांक 25.04.12 द्वारा जारी किया गया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा तैयार किए गए लेखों की अधिकतर मदों में कार्यालय अभिलेख के अनुसार दिनांक 31.03.2011 के शेषों के आंकड़ों में भिन्नताएं पाई गई हैं लेकिन मण्डी समिति द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट से आंकड़ों में भिन्नताओं के संशोधनोपरान्त संशोधित करवाकर वार्षिक लेखे मण्डी समिति कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए हैं। मण्डी समिति के वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखों पर अंकेक्षण की मदवार टिप्पणियाँ इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ यथा अनुलग्नक "बी" पर संलग्न है।

%ii% e.Mh lfevr dh o'k 2010&11 dh foUkh; fLFkfr %&

अंकेक्षण द्वारा मण्डी समिति कार्यालय से अंकेक्षण के पत्र संख्या 339, 345, दिनांक 05.12.11 तथा स्मरण पत्र संख्या 391, दिनांक 10.02.12 द्वारा मण्डी समिति की वर्ष 2010-11 की वित्तीय स्थिति अंकेक्षण को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ताकि इसे सत्यापनोंपरान्त तदानुसार रिपोर्ट में समाविष्ट किया जा सके, परन्तु रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक वित्तीय स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण उक्त वित्तीय स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न नहीं की जा सकी।

%iii% fuo'k %&

विपणन समिति द्वारा दिनांक 31.03.2011 तक परिशिष्ट "क" के अनुसार ₹20,84,64,416/- विभिन्न बैंकों में सावधिक जमा योजना के अर्न्तगत निवेश की गई है।

6 ₹194000 dk lek;ktu u djuk %&

मण्डी समिति भिमला व किन्नौर स्थित ढली भिमला-12 के अग्रिम रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि मण्डी समिति के विभिन्न कर्मचारियों के नाम कार्यालय के विभिन्न उद्देश्यों हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार वर्ष 2010-11 की समाप्ति तक अग्रिम राशियाँ असमायोजित पड़ी थी राशि भुगतान की गई थी परन्तु वित्तीय वर्ष

2010-11 की समाप्ति तक इन अग्रिम राशियों का समायोजन नहीं किया गया है। अतः इन समस्त अग्रिम राशियों का समायोजन शीघ्रातिशीघ्र करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

vlek;kftr vLFkkb' vfxek dk vof/k 31-03-2011 rd dk fooj.k

Ø010	depkjh dk uke	vfxe fcy l0	fnukd	jkf'k
1	श्री शक्त राम कष्यप	337	02-02-2001	35,000.00
		57	04-05-2001	4,000.00
2	श्री हेम राज ठाकुर	357	17-03-2009	1,000.00
3	श्री सुषील कुमार	325	20-02-2010	20,000.00
4	श्री प्रेम लाल शर्मा	41	21-05-2010	3,000
		359	28-02-2011	2,000
5	श्री केदार वर्मा	141	20-08-2010	3,000
		226	26-10-2010	3,000
6	श्री परस राम वर्मा	182	21-09-2010	5,000
		375	18-03-2010	10,000
7	श्री तेज राम कष्यप	258	20-11-2010	1,00,000
8	श्री अनिल चौहान, सचिव	307	06-01-2011	8,000
G. Total				₹1,94,000

मण्डी समिति के विभिन्न कर्मचारियों के नाम में असमायोजित अग्रिम राशि के विगत वर्षों के आंकड़े निम्नानुसार है :-

Øe l[;k	o"kk	depkfj;k dk uke vlek;kftr dy jkf'k
1	2002-03	राशि ₹11,10,768.00
2	2003-04	राशि ₹9,71,986.00
3	2004-05	राशि ₹9,04,560.00
4	2005-06	राशि ₹7,37,170.00

5	2006—07	राशि ₹7,39,670.00
6	2007—08	राशि ₹2,93,160.00
7	2008—09	राशि ₹1,31,500.00
8	2009—10	राशि ₹84,000.00
9	2010—11	राशि ₹1,94,000.00

उपरोक्त दर्शाई गई कुछ अग्रिम राशियां कई वर्षों से असमायोजित है। बोर्ड के प्राधिकारियों द्वारा इन के समायोजन हेतु ठोस पग उठाए जाने आवश्यक हैं ताकि इन का समायोजन हो सके।

7 ndkuk d fdjk, d : i e ₹26]20]824 l vf/kd dh 'k" k o lyh %&

कृषि उपज मण्डी समिति की दुकानों से सम्बन्धित किराया रजिस्टर व अन्य अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि परिशिष्ट “ख” के अनुसार विभिन्न आबंटियों से दिनांक 31.03.2011 को ₹26,20,824 की वसूली योग्य शेष थी।

अंकेक्षण द्वारा लम्बित किराए की वसूली के सन्दर्भ में प्रकरण कृषि उपज मण्डी समिति कार्यालय से वर्ष 2000—01 से वर्ष 2009—10 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों द्वारा भी उठाया गया था किन्तु इस सन्दर्भ में कुछ विषेष सकारात्मक प्रगति नहीं हो पाई गई। अतः उपरोक्त शेष किराए की वसूली के अतिरिक्त आगामी समय में सभी दुकानों के आबंटियों से निर्धारित शर्तों के अनुसार समय पर किराए की वसूली सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है अन्यथा नियमों/अधिनियमों के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत चूककर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए उचित कार्रवाई की जाए ताकि मण्डी समिति को कथित राशियों पर प्राप्त योग्य ब्याज के रूप में हो रही अप्रत्यक्ष हानि से भी बचा जा सके।

8 ykb!U! /kkfj; k }kjk 0; kikj 'kU; n'kkuk %&

परिशिष्ट “ख-1” में वर्णित व्यापारियों की नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि इन व्यापारियों ने उनके नाम के विरुद्ध दर्शाई गई अवधियों में व्यापार शून्य दर्शाया है जैसा कि इन व्यापारियों से सम्बन्धित ‘एम’ फार्म के अवलोकन से विदित होता है।

इस प्रकरण में मण्डी समिति के किसी भी प्राधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस आष्य की पुष्टि नहीं की गई है कि उपरोक्त अवधि में ‘शून्य’ दर्शाया गया व्यापार वास्तविक तथ्यों पर आधारित है अथवा नहीं। उक्त प्रकरण में यह स्पष्टतः प्रतीत होता है कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा आय एकत्रीकरण पर किसी प्रभावशाली नियन्त्रण एवम् पर्यवेक्षण की बजाय व्यापारियों द्वारा “एम” फार्म में की गई घोषणा के आधार पर ही मण्डी शुल्क वसूला जा रहा

है, जो कि उचित प्रक्रिया नहीं है। अतः सुझाव दिया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में नीति निर्धारित करके समय रहते वास्तविकता की पुष्टि सुनिश्चित की जाए व किन्हीं व्यापारियों द्वारा मण्डी शुल्क को जमा करने हेतु टाल-मटोल करने तथा नियमों/विनियमों की उल्लंघना करने की परिस्थिति में नियमों/अधिनियमों में प्रावधित व्यवस्था के अनुसार दण्ड सहित मण्डी शुल्क की वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए। यह प्रकरण प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड बिमला-2 के विषेष ध्यानार्थ उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है क्योंकि इस प्रकार के संपरीक्षा सुझाव गत प्रतिवेदनों में शामिल करने के उपरान्त भी इन प्रकरणों में आज दिन तक कोई कार्रवाई/अनुपालना नहीं की गई है जो स्वतः ही विपणन समिति के हित में नहीं है।

9 e.Mh 'kYd dh oIyh u dju d dkj.k C;kt d :i e e.Mh lfevr dk gkfu %&

मण्डी समिति की वर्ष 2010-11 की आय की जाँच करने पर पाया गया कि **परिषिष्ट "ख-2"** के अनुसार 218 व्यापारी जोकि मण्डी समिति के लाईसैंस धारक है से उनके नामों के विरुद्ध दर्शाई गई अवधियों में कोई मण्डी शुल्क वसूल नहीं किया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 45(2) एवं हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकी उपज विपणन (साधारण) नियम 2005 के नियम 35 के अर्न्तगत सभी लाईसैंस धारकों द्वारा प्रतिदिन क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में "एम फार्म" प्रस्तुत करना तथा 14 दिनों के भीतर ही मण्डी शुल्क अदा करना अनिवार्य है।

इन प्रकरणों में मण्डी शुल्क की वसूली समय पर न किए जाने के कारण मण्डी समिति को प्राप्त योग्य आय की हानि हुई तथा अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त योग्य ब्याज की भी हानि हुई है। पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2008-09 व 2009-2010 में ऐसे प्रकरणों की संख्या में कमी आई थी, परन्तु इस वर्ष 2010-2011 में ऐसे प्रकरणों की संख्या में पुनः वृद्धि हुई है। अतः इस सन्दर्भ में मण्डी शुल्क की वसूली उपरोक्त अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार की जानी सुनिश्चित की जाए जिससे एक ओर अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की अनुपालना होगी वहीं दूसरी ओर मण्डी समिति को समय पर मण्डी शुल्क की वसूली न होने से उस पर प्राप्त योग्य ब्याज की हानि से बचा जा सकाता है।

10 ykb.l l /kkjh O;kikfj;k l n; e.Mh 'kYd l de oIyh fd, tku d QyLo:i e.Mh lfevr dk lEHkkfor gkfu %&

मण्डी समिति के व्यापारियों की नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि कुछ व्यापारियों के नामों के विरुद्ध दर्शाई गई अवधियों में मण्डी शुल्क देय शुल्क से कम वसूला गया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

Ø0 I.0	Qe dk uke	n; e.Mh 'kYd	tek fd;k x;k 'kYd	j l hn I 0@ fnukd ft l }kjk o lyh dh xb	de tek fd;k x;k e.Mh 'kYd
1	मैं0 द्वारका दास सूद एण्ड सन्ज पिमला	7994	7904	195099 दिनांक 31.03.11	90
2	मैं0 हरपाल सिंह हरजीत सिंह दुकान नम्बर 33 ढली	64280	64271	98110 दिनांक 16.09.10	9
3	मैं0 रावत फ्रूट ट्रेडर्ज दुकान नम्बर 2 ढली	67070	66245	94597 दिनांक 23.08.10	825
		63262	63216	98083 दिनांक 06.09.10	46
		37355	37334	98130 दिनांक 27.09.10	21
4	मैं0 के0के0 ट्रेडिंग कम्पनी दुकान नम्बर 16(ए) ढली	183588	178188	233129 दिनांक 30.07.11	5400
5	मैं0 चौहान फ्रूट एण्ड वैजिटेबल कम्पनी दुकान नम्बर 16 ढली	67236	66148	195565 दिनांक 19.05.11	1088
6	मैं0 करोल ब्रदर्ज दुकान नम्बर 60 ढली	185636	180298	98200 दिनांक 19.10.10	5338
7	मैं0 रोनक ट्रेडर्ज गंज बाजार पिमला	13366	12974	95391 दिनांक 23.03.11	392
8	मैं0 राय चन्द कार्टरोड, पिमला	4397	4367	95339 दिनांक 20.11.10	30
9	मैं0 महाजन मिल्क एजैन्सी पिव नगर टूटू	3917	3908	94162 दिनांक 01.05.10	9
10	मैं0 शम्भु राम दीप चन्द रामपुर	4824	4757	104064 दिनांक 13.07.10	67
11	मैं0 रतन सिंह नेजा राम	24667	24167	104263	500

	रिकांगपिओ			दिनांक 17.12.10	
12	मै० नैक सिंह वेजिटेबल एण्ड फ्रूट शॉप मतियाना	15899	15779	195808	
				दिनांक 31.03.11	120
				108530	
				दिनांक 23.11.10	
13	मै० राम पाल फ्रूट एण्ड वेजिटेबल स्पलायर, चौपाल नेरवा	2350	2300	154413	50
				दिनांक 29.01.11	
14	मै० Noila फ्रूट कम्पनी रोहडू	22409	20730	99450	1679
				दिनांक 26.08.10	
		9503	3131	154017	6372
				दिनांक 09.12.10	
15	मै० यजविन्द्र सिंह रोहडू	18567	14685	99596	3882
				दिनांक 21.09.10	
16	मै० हेम चन्द रोहडू	21526	16521	154025	5005
				दिनांक 22.12.10	
17	मै० उजागर सिंह शॉप नम्बर 18 रोहडू	12953	12626	149991	327
				दिनांक 28.10.10	
18	मै० गंजन फार अली रोहडू	45151	45130	149947	21
				दिनांक 14.10.10	
19	मै० दलीप सिंह रोहडू	40000	38761	149919	1239
				दिनांक 07.10.10	
		73800	4637	154145	2743
				दिनांक 29.03.11	

dy ;kx ₹35,253

उपरोक्त प्रकरणों में जहाँ मण्डी शुल्क की वसूली देय शुल्क के रूप में ₹35,253 कम जमा किए जाने के कारण मण्डी समिति को प्राप्त योग्य आय की हानि हुई है वहीं अप्रत्यक्ष रूप से उस राशि पर प्राप्त योग्य ब्याज की भी हानि हुई है। अतः ऐसे प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाए

जाते हैं ताकि भविष्य में लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी समिति अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार मण्डी शुल्क की वसूली सुनिश्चित की जाए।

11 fofHkUu 0;kikfj;k }kjk db&db eghuk dk e.Mh 'kYd ,d lkFk tek dju d QyLo:lk e.Mh lfebr dk C;k t d : i e yk[kk : i; dh lEHkkfor gkfu

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 के नियम 35 के अनुसार मण्डी समिति के साथ पंजीकृत सभी व्यापारियों द्वारा क्रय-विक्रय के सन्दर्भ में प्रतिदिन 'एम' फार्म प्रस्तुत करना तथा तदनुसार 14 दिन के भीतर ही मण्डी शुल्क जमा करवाया जाना अपेक्षित है, किन्तु मण्डी समिति द्वारा पंजीकृत व्यापारियों की सम्बन्धित नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी शुल्क की वसूली उपरोक्त नियमानुसार न करके अत्यन्त विलम्ब से कई-कई महीनों के बाद की जा रही है। कई प्रकरण तो ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें पूरे साल का मण्डी शुल्क अत्यन्त विलम्ब से जमा करवाया गया है जैसा कि परिशिष्ट "ग-1" तथा "ग-2" पर दिए गए विवरण से भी स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार एक-एक व्यापारी से राशियाँ कई-कई महीनों तक वसूली हेतु शेष रहती हैं, जिस कारण मण्डी समिति को प्राप्त योग्य ब्याज के रूप में लाखों रुपयों की अप्रत्याशित हानि का सामना करना पड़ता है क्योंकि यदि उक्त मण्डी शुल्क समय पर अर्थात् कई कई महीनों का इकट्ठा वसूल न करके समय पर वसूला होता तो संलिप्त राशियों पर बैंक से ब्याज के रूप में मण्डी समिति को लाखों रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई होती।

अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के ध्यानार्थ इस आषय के साथ लाया जाता है कि विलम्ब से मण्डी शुल्क जमा करने की परिस्थिति में इसे सम्बन्धित व्यापारियों से नियमों/अधिनियमों के प्रावधानानुसार दण्ड की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

12 ukdk pkdh ckyxt] ujhiy] ckuhiy rFkk dMM e xj ykbll /kkjh 0;kikfj;k l dEikAM 'kYd dh ₹53]962@&dh de o lyh d dkj.k e.Mh lfebr dk lEHkkfor gkfu %&

मण्डी समिति द्वारा स्थापित नाका चौकी बालूगंज की अवधि 01.04.2010 से 31.03.2011 की आय की जाँच करने पर पाया गया कि इन नाका चौकीयों में गैर लाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की वसूली हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियम) अधिनियम 2005 की धारा 75 व इस सन्दर्भ में मण्डी समिति द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप न करने के परिणामस्वरूप यथा विवरण परिशिष्ट "घ" (i),(ii),(iii),(iv) के अनुसार क्रमशः ₹15,893/—, ₹13,598/—, ₹24,041/—, तथा ₹430/— अर्थात् कुल ₹53,962/—के कम्पाऊंड शुल्क की कम वसूली के कारण मण्डी समिति को हानि हुई है जिसकी भरपाई सम्बन्धित व्यापारियों अथवा उत्तरदायी कर्मचारियों से की जानी अपेक्षित है। ऐसे प्रकरण अंकेक्षण द्वारा वर्ष 2001-02 से वर्ष 2009-10 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से भी मण्डी समिति कार्यालय के ध्यानार्थ लाए गए थे लेकिन इस

सन्दर्भ में वर्ष 2008-09 के दौरान कुछ सुधार तो हुआ है परन्तु वर्ष 2009-10 व 2010-11 में इसकी स्थिति वहीं पहुंच गई है जिससे यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार की हानि/दुर्विनियोजन पर अंकुष लगाने तथा मण्डी समिति गम्भीर नहीं है।

अतः इस प्रकरण में भविष्य हेतु विशेष गौर करने की आवश्यकता है। विगत वर्षों में मण्डी समिति को हुई इस प्रकार हानि का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

Øe l[;k	vof/k ft le dEikÅM 'kYd olyk	de olyk x;k dEikÅM 'kYd
	x;k	
1	01.04.2001 से 31.03.2002	₹10,21,801/-
2	01.04.2002 से 31.03.2003	₹1,33,618/-
3	01.04.2003 से 31.03.2004	₹3,186/-
4	01.04.2004 से 31.03.2005	₹15,680/-
5	01.04.2005 से 31.03.2006	₹21,310/-
6	01.04.2006 से 31.03.2007	₹2,65,376/-
7	01.04.2007 से 31.03.2008	₹63,278/-
8	01.04.2008 से 31.03.2009	₹2,346/-
9	01.04.2009 से 31.03.2010	₹51,706/-
10	01.04.2010 से 31.03.2011	₹53,963/-

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जहां 2002-03 के उपरान्त इस प्रकार की हानि में कमी आई है वहीं वर्ष 2006-07 व 2007-08 तथा 2009-10 व 2010-11 में इस प्रकार की हानि में पुनः वृद्धि हुई है अतः ऐसे प्रकरणों को पुनरावृत्ति आन्तरिक जाँच/नियन्त्रण के माध्यम से रोकना सुनिश्चित किया जाए ताकि मण्डी समिति को उक्त प्रकार से हो रही हानि से बचाया जा सके।

13 d"kd mi t e.Mh lfe fr f'keyk ,o fdUukj fLFkr <yh] f'keyk e i:thdr 0;kikfj;k dh l[;k d ckj e %&

कृषि उपज मण्डी समिति स्थित ढली षिमला का कार्यक्षेत्र प्रदेश के दो जिलों अर्थात जिला षिमला व जिला किन्नौर है। इस समिति से पंजीकृत कृषि उपज से जुड़े इन दो जिलों के व्यापारियों की संख्या सन्तोषजनक नहीं है जैसा कि निम्न तालिका के अवलोकन से भी विदित होता है :-

Øe l[;k	vof/k	df"k mit l tM mu 0;kikfj;k dh l[;k tk df"k mit e.Mh lfevr f'keyk o fdUukj l i:thdr g
1	मण्डी समिति के अस्तित्व में आने से 31.03.2001 तक	629
2	01.04.2001 से 31.03.2002 तक	539
3	01.04.2002 से 31.03.2003 तक	682
4	01.04.2003 से 31.03.2004 तक	637
5	01.04.2004 से 31.03.2005 तक	716
6	01.04.2005 से 31.03.2006 तक	637
7	01.04.2006 से 31.03.2007 तक	599
8	01.04.2007 से 31.03.2008 तक	511
9	01.04.2008 से 31.03.2009 तक	478
10	01.04.2009 से 31.03.2010 तक	504
11	01.04.2010 से 31.03.2011 तक	630

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, षिमला एवं किन्नौर कार्यालय कृषि उपज से जुड़े व्यापारियों के पंजीकरण के सन्दर्भ में गम्भीर नहीं है क्योंकि यदि किसी वर्ष मण्डी समिति से पंजीकृत कृषि उपज से जुड़े व्यापारियों की संख्या में वृद्धि दर्ज हुई है तो आगामी वर्ष में इस संख्या में कभी भी आई है, जैसे कि वर्ष 2008-09 में इस संख्या में बाकी वर्षों की तुलना में भारी कमी आई है। अंकेंक्षण द्वारा यह प्रकरण मण्डी समिति के ध्यानार्थ विगत अंकेंक्षण प्रतिवेदनों द्वारा भी लाया जाता रहा है। अतः इस सन्दर्भ में विपणन बोर्ड एवम् विपणन समिति प्राधिकारियों द्वारा विषेय ध्यान दिये जाने की नितान्त आवश्यकता है, ताकि इस सन्दर्भ में सार्थक प्रगति होने के फलस्वरूप मण्डी समिति की आय में बढौतरी सुनिश्चित की जा सके।

14 dEikÅM 'kYd oly djr g, jln cdk e oLr dk uke] iek=k o eY; n'kk, fcuk gh
dEikÅM 'kYd dh olyh djuk %&

नाकाचौकी बालूगंज, नेरीपुल व कुडडू की वर्ष 2010-11 की आय की जाँच करने पर पाया गया कि नाकाचौकियों पर गैरलाईसँसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क वसूल करते हुए यथाविवरण परिशिष्ट "च" (i) से (v) के अनुसार जो कम्पाऊंड शुल्क वसूल किया गया है उन रसीद बुकों में वसूले गए कम्पाऊंड शुल्क के सन्दर्भ में न तो वस्तु की प्रमात्रा का जिक्र है और न ही वस्तु का मूल्य दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त कई प्रकरणों में तो यह भी नहीं दर्शाया गया है कि कम्पाऊंड शुल्क किस वस्तु पर लिया जा रहा है। इस प्रकार वसूले गए उपरोक्त कम्पाऊंड शुल्क की प्रमाणिकता संदेहास्पद होने के साथ साथ इसकी वैद्यता पर भी प्रश्न चिन्ह से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः अनियमितता का उपरोक्त प्रकरण मण्डी समिति के ध्यानार्थ नाकाचौकियों में तैनात कर्मचारियों के कार्यों का पर्यावेक्षण प्रभावशाली ढंग से सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से लाया जाता है ताकि ऐसे प्रकरणों पर पूर्ण अंकुष लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त सुझाव दिया जाता है कि नाकाचौकियों में कार्यरत कर्मचारियों को उक्त सन्दर्भ में विशेष प्रशिक्षण दिया जाए ताकि कार्यशैली में सुधार आ जाए।

15 e.Mh lfeFr <yh rFkk mi&e.Mh lfeFr dkVh d foJke xgk d fdjk;k dk fu/kkfjr njk l ₹420@& dh de oIyh %&

वर्ष 2010-11 से सम्बन्धित विश्राम गृहों के रजिस्ट्रों से जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति ढली के विश्राम गृह के कमरों की दिनांक 01.04.2010 से 05.04.2010 व उप मण्डी समिति कोटी के विश्राम गृहों के कमरों की दिनांक 01.04.2010 से 28.04.2010 की वसूली पुरानी दरों के अनुसार ही की जा रही थी जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पत्र संख्या: एच0एम0बी0(आर)195-2447, दिनांक 03.04.2010 के अनुसार इन कमरों के किराये की वसूली नई निर्धारित दरों के अनुसार की जानी अपेक्षित थी जिसका विवरण परिशिष्ट "छ(i)" तथा छ(ii) पर संलग्न किया गया है। अतः कम वसूली की गई ₹420/- को सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूल करके समिति निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अपेक्षित कार्रवाई से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

16 jkDM_cgh e i kb xbl xEHkhj vfu;ferrk; %& %i% ukdkpkdh ckyxt dh jkDM_cgh e xyr x.kuk dju ij iklr vk; e ₹3938@&dk vUrj %&

वर्ष 2010-11 की आय की जाँच करने पर पाया गया कि गलत गणना करने पर रोकड़ बही में योग की राशि कम दर्शाई गई थी जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

Øe lI[;k	fnukd	i"B lI0	jkDM_cgh e fd;k x;k ;kx	okLrfod ;kx t k lgh Fkk	vUrj
-------------	-------	------------	----------------------------	----------------------------	------

1	24.08.2010	65	20,484	20,514	30
2	06.09.2010	197	67,466	67,506	40
3	16.09.2010	281	26,590	26,950	360
4	16.09.2010	289	95,408	96,556	1148
5	17.09.2010	294	15,072	15,0702	630
6	04.10.2010	409	58,894	58,924	30
7	01.11.2010	12	16093724	16092024	1700

अतः उक्त प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ नियमानुसार कार्रवाई करने के उद्देश्य से लाया जाता है।

ii] ₹7,56,777 की राशि का भुगतान बैंक ऑफ पटियाला, सन्जौली

मण्डी समिति की अवधि 01.04.10 से 31.03.11 की आय की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा विभिन्न तिथियों को बैंक या नकद के रूप में जो विभिन्न राशियाँ प्राप्त की हैं, उनकी प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में नहीं की गई है यद्यपि बैंक द्वारा इन राशियों को विभिन्न तिथियों पर क्रेडिट किया गया दर्शाया है लेकिन इनकी समतुल्य प्रविष्टियाँ मण्डी समिति की रोकड़ बही में नहीं की गई हैं, जिस का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	चैक नं.	दिनांक	राशि	प्रविष्टि तिथि	प्रविष्टि नं.
1	65098996229	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सन्जौली	28.10.10	6,00,000	529493
					दिनांक 23.10.10
2	4090100558	राज्य सहकारी बैंक ढली	03.08.10	10	450557
3	4090100558	राज्य सहकारी बैंक ढली	14.09.10	1,56,767	531564

अतः उपरोक्त अनियमितता से सम्बन्धित यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ नियमानुसार कार्रवाई करवाने हेतु लाया जाता है।

iii] ₹20,000 की राशि का भुगतान बैंक ऑफ पटियाला, सन्जौली

मण्डी समिति के वर्ष 2010-11 के व्यय रजिस्टर/रोकड़ बही व बैंक खातों के मिलान करने पर पाया गया कि ₹20,000 चैक संख्या 205702 द्वारा राज्य सहकारी बैंक ढली के खाता संख्या: 4090100558 से दिनांक 04.10.10 को निकासी की गई परन्तु उक्त राशि का रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं किया गया। ऐसा ही प्रकरण वर्ष 2005-06 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 32 व वर्ष 2006-2007 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 30 द्वारा मण्डी समिति के ध्यानार्थ लाया गया था परन्तु अंकेक्षण द्वारा बार-बार आपत्तियाँ उठाने पर भी ऐसे प्रकरणों की पुनर्गति पर अंकुष नहीं लगाया गया। अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के विषेष ध्यानार्थ नियमानुसार कार्रवाई करने के उद्देश्य से लाया जाता है।

विवरण जे.के.एम. सी.एच.ई. जे.के.एफ.के. डी.एच.एच.डी. के रोकड़ बही व बैंक खातों की जाँच पर पाया गया कि विभिन्न लाईसेंस धारियों द्वारा मण्डी शुल्क के रूप में दिए गए चैकों से सम्बन्धित राशियों का रोकड़ बही में गलत इन्द्राज किया गया है जिसका विवरण इस प्रकार से है:-

क्र.सं.	चैक संख्या	दिनांक	जे.के.एम. सी.एच.ई. जे.के.एफ.के. डी.एच.एच.डी. के रोकड़ बही में	बैंक खाते में	अंतर
1	811298	95265 दिनांक 21.06.10	4906	4904	(-) 2
2	003524	108168 दिनांक 21.08.10	6559	6569	(+) 10
3	531545	124187 दिनांक 23.08.10	185546	185516	(-) 30
4	003528	108177 दिनांक 31.08.10	9333	9933	(+) 600
5	529060	98088 दिनांक 09.09.10	30621	30681	(+) 60
6	73339239	98162 दिनांक 14.10.10	2500	2200	(-) 300
7	041377	148966 दिनांक 08.12.10	8479	8489	(+) 10
8	570542	194901 दिनांक 19.02.11	26707	26767	(+) 60

अतः उक्त अनियमितता से सम्बन्धित यह प्रकरण भी मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ नियमानुसार कार्रवाई करवाने हेतु लाया जाता है।

₹2,67,194 दि. 27.10.2010 को अंकेक्षण द्वारा पारित किया गया, जिसे रोकड़ बही में चैक संख्या 352676, दिनांक 30.10.10 के अन्तर्गत व्यय के रूप में दर्शाया गया था। इस के उपरान्त पुनः अपने स्तर पर ही चैक संख्या: 352679, दिनांक 29.11.10 द्वारा ₹2,58,245 की अदायगी कर दी गई, परन्तु पूर्व में जारी चैक को रद्द करने पर इस की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई। अतः चैक द्वारा रद्द की गई राशि की प्रविष्टि न करने तथा अपने ही स्तर पर की गई अदायगी का औचित्य स्पष्ट किया जाए। यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

मण्डी समिति के वर्ष 2010-11 के वाऊचर व रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि कृषि उपज मण्डी रोहडू का प्रकरण रद्द किए जाने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी की गई सब्सिडी से सम्बन्धित बिल संख्या: 229, ₹2,67,194, दिनांक 27.10.2010 को अंकेक्षण द्वारा पारित किया गया, जिसे रोकड़ बही में चैक संख्या 352676, दिनांक 30.10.10 के अन्तर्गत व्यय के रूप में दर्शाया गया था। इस के उपरान्त पुनः अपने स्तर पर ही चैक संख्या: 352679, दिनांक 29.11.10 द्वारा ₹2,58,245 की अदायगी कर दी गई, परन्तु पूर्व में जारी चैक को रद्द करने पर इस की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई। अतः चैक द्वारा रद्द की गई राशि की प्रविष्टि न करने तथा अपने ही स्तर पर की गई अदायगी का औचित्य स्पष्ट किया जाए। यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

₹25/- की वसूली करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना अपेक्षित है।

मण्डी समिति के वर्ष 2010-11 के वाऊचर व रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि बिल संख्या: 322, दिनांक 27.01.2011 के अन्तर्गत श्री अशरफ मुहम्मद, हेलपर के जनवरी माह के वेतन से CPF/Board Share or GIS के बिल ₹2,619 पारित किए गए थे परन्तु रोकड़ बही में ₹2,644 की अदायगी दर्शाई है। अतः अधिक भुगतान की गई ₹25/- की वसूली करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना अपेक्षित है।

₹50/- की कटौती की गई जिसकी वसूली सम्बन्धित फर्म से करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

मैं 0 नरेश ट्रेडर्स से प्राप्त मण्डी शुल्क से सम्बन्धित चैक संख्या: 033026 ₹13,571 का बैंक खाते में क्रेडिट करवाने पर मण्डी समिति के खाते में से बैंक प्रभार के रूप में ₹50/- की कटौती की गई जिसकी वसूली सम्बन्धित फर्म से करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 ₹2,67,194 दि. 27.10.2010 को अंकेक्षण द्वारा पारित किया गया, जिसे रोकड़ बही में चैक संख्या 352676, दिनांक 30.10.10 के अन्तर्गत व्यय के रूप में दर्शाया गया था। इस के उपरान्त पुनः अपने स्तर पर ही चैक संख्या: 352679, दिनांक 29.11.10 द्वारा ₹2,58,245 की अदायगी कर दी गई, परन्तु पूर्व में जारी चैक को रद्द करने पर इस की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई। अतः चैक द्वारा रद्द की गई राशि की प्रविष्टि न करने तथा अपने ही स्तर पर की गई अदायगी का औचित्य स्पष्ट किया जाए। यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

5	2005—2006	₹24,00,000.00
6	2006—2007	₹87,97,000.00
7	2007—2008	₹91,97,000.00
8	2008—2009	₹92,04,600.00
9	2009—10	₹1,73,11,985.00
10	2010—11	₹99,47,377.00

अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ अपेक्षित कार्रवाई करवाए जाने के उद्देश्य से लाया जाता है।

18 e.Mh lfevr }kjk fofHkUu cpr [kkrrk e vR;kf/kd jkf'k j[ku d ifj.kkeLo:i e.Mh lfevr dk iklr ;kX; C;kt dh lEHkkfor gkfu %&

मण्डी समिति के वर्ष 2010—11 के विभिन्न बैंकों में संचालित बैंक बचत खातों की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा बचत खातों में अनावश्यक रूप से अधिक राशि रखी जाती रही है जैसा कि 31.03.2011 के अन्तिम शेष ₹3,08,08,411.54 से विदित होता है जबकि इस राशि का निवेश सुगमता से सावधि जमा योजना में हो सकता था। यदि वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप बचत खातों में राशि रखकर शेष राशि को समय—समय पर सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाता तो मण्डी समिति को ब्याज के रूप में प्राप्त योग्य राशि की सम्भावित हानि नहीं होती। अतः इस प्रकरण में पूरी छानबीन करके चूककर्ता के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए हानि की भरपाई की जानी अपेक्षित है ताकि भविष्य हेतु मण्डी समिति निधि का प्रभावशाली नियन्त्रण सुनिश्चित होने के साथ—साथ प्रभावी प्रबन्ध भी सुनिश्चित हो सके जिससे मण्डी समिति को उपलब्ध साधनों से अधिक से अधिक आय सुनिश्चित हो सके।

19 e.Mh lfevr }kjk fofHkUu lkof/k tekvk d vUrxr fgeky in'k jkT; lgdckjh cidk e fuof'kr u djok dj de C;kt nj ij vU; cidk e fuof'kr dju d ifj.kkeLo:lk ₹2]54]853@&dh gkfu %&

मण्डी समिति के विभिन्न सावधि जमा खातों में निवेशित राशि तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा जारी सरकुलर संख्या 43/2007, दिनांक 20.04.2007 की जाँच करने पर पाया गया है कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंकों में सावधि योजना में राशि निवेशित न कर अन्य बैंकों में कम ब्याज दर पर निवेशित की गई है जिसके परिणामस्वरूप मण्डी समिति को **परिषिष्ट “झ”** में वर्णित विवरण के अनुसार ₹2,54,853 की ब्याज के रूप में हानि हुई है क्योंकि परन्तु अन्य बैंकों की तुलना में हिमाचल

प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा सावधिक जमा पर अधिक ब्याज दिया जाता है। इस प्रकार विपणन समिति प्राधिकारियों द्वारा अन्य बैंकों में कम ब्याज दर पर राशियाँ निवेश करने पर निश्चित रूप से समिति को ब्याज की हानि हो रही है। अतः विपणन समिति प्राधिकारियों को सुझाव दिया जाता है कि प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों तथा ब्याज की समुचित दर के दृष्टिगत भविष्य हेतु हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक में सावधिक जमा के अन्तर्गत निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए या राष्ट्रीयकृत बैंकों की ब्याज दर की प्रतिस्पर्धा का लाभ सुनिश्चित किया जाए ताकि विपणन समिति का किसी प्रकार की हानि न उठानी पड़े। उपरोक्त समस्त निवेशित राशि को समय-समय पर परिपक्वता पर पुर्ननिवेश व रोकड़ बही में ब्याज सहित लेखांकन भी सुनिश्चित किया जाए। यह मामला प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, शिमला-2 के विशेष ध्यान में समूचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

20 e.Mh Ifefr dk;ky; }kjk fofHkUu lko/k tekv/e ifjiDork dh frfFk ij jkf'k iufuof'kr u
djd foyEc l fuof'kr fd, tku d QyLo: i e.Mh Ifefr dk C;kt d :lk e ₹5]489 dh gkfu
 %&

मण्डी समिति के एफ0डी0आर0 रजिस्टर की जाँच करने पर यह पाया गया कि मण्डी समिति ने विभिन्न सावधि जमाओं की राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि पर पुर्ननिवेश न कर कुछ समय के अन्तराल पर निवेशित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप मण्डी समिति को ब्याज के रूप में ₹5,489 की हानि उठानी पड़ी है, जिसका विवरण यथा परिशिष्ट “अ” पर दिया गया है। अतः इस प्रकरण में पूरी छानबीन करके उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए चूककर्ता से हानि की भरपाई की जानी अपेक्षित है ताकि मण्डी समिति निधि का प्रभावशाली नियन्त्रण सुनिश्चित होने के साथ-साथ प्रभावी वित्तीय प्रबन्ध सुनिश्चित हो सके जिससे मण्डी समिति को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक आय सुनिश्चित हो सके।

21 ;dk cid vkVh %jkgM% dh lko/k tek l[;k 012871 e ifjiDork jkf'k l de jkf'k tek gku d
QyLo: i e.Mh Ifefr dk ₹2]720@&dh gkfu %&

मण्डी समिति के एफ0डी0आर0 रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति ने दिनांक 13.03.2010 को यूको बैंक, आंटी (रोहड़ू) में सावधि जमा संख्या: 012871 में ₹2,55,516 एक वर्ष के लिए जमा करवाई थी जिसकी परिपक्वता तिथि 13.03.2011 थी तथा इस निवेशित राशि का परिपक्वता ₹2,72,534 बनती थी, जिसे मण्डी समिति कार्यालय ने दिनांक 19.03.2011 दोबारा 5 दिन बाद इसी बैंक में निवेश कर दिया लेकिन परिपक्वता की ₹2,72,534 के स्थान पर ₹2,69,614 ही सावधि जमा खाते में जमा की गई इस प्रकार ₹2,720 सावधि जमा में कम जमा हुई है। अतः इस प्रकरण में पूरी छानबीन कर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए चूककर्ता से हानि की भरपाई

की जानी आपेक्षित है ताकि मण्डी समिति निधि का प्रभावशाली नियन्त्रण सुनिश्चित होने के साथ-साथ प्रभावी प्रबन्ध भी सुनिश्चित हो सके जिससे मण्डी समिति को इस प्रकार की हानि से बचाया जा सके।

22 okgu e iVky dh [kir fu/kkfjr [kir nj l vf/kd gku d dkj.k ₹14]538 d iVky dh vf/kd [kir d ckj e %&

वर्ष 2010-11 के दौरान मण्डी समिति कार्यालय में जिप्सी संख्या एच0पी0-52(ए)-0511 का प्रयोग किया गया जिसे 08.06.2005 को खरीदा गया था। उक्त वाहन की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 01.04.10 से 31.03.11 के दौरान इस वाहन से स्थानीय व लम्बी दूरी की यात्राओं को मिला कर भी प्रति लीटर पेट्रोल से दूरी तय करने की औसत निम्नानुसार थी

Øe l[;k	ekg	okgu }kjk ,d yhVj iVky l r; njh %fd0eh0 e%	fVli.kh
1	अप्रैल, 2010	7.67	वाहन 08.06.05 को खरीदा गया है।
2	मई, 2010	7.41	
3	जून, 2010	7.10	
4	जुलाई, 2010	7.54	
5	अगस्त, 2010	7.35	
6	सितम्बर, 2010	7.15	
7	अक्तूबर, 2010	7.22	
8	नवम्बर, 2010	7.71	
9	दिसम्बर, 2010	7.59	
10	जनवरी, 2011	7.28	
11	फरवरी, 2011	6.73	
12	मार्च, 2011	7.44	

संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या जी0ए0डी0-ए0(बी)1-1/96, दिनांक 21.01.1997 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार जिप्सी वाहन से एक लीटर पेट्रोल से स्थानीय यात्राओं में 8

कि०मी० तथा लम्बी दूरी की यात्राओं में 9 किलोमीटर दूरी तह करना अपेक्षित है तथा ऐसा न होने की अवस्था में अधिक पेट्रोल की खपत की कीमत की वसूली वाहन चला रहे चालक से की जानी अपेक्षित है। उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि मण्डी समिति के उपरोक्त वाहन में 01.04.10 से 31.03.11 के दौरान निर्धारित मानकों के अनुसार दूरी तय नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पेट्रोल की अधिक खपत की गई है जिस बारे में यह प्रकरण समय-समय पर मण्डी समिति कार्यालय के ध्यानार्थ लाए गए थे लेकिन इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक कृत कार्रवाई से मण्डी समिति कार्यालय द्वारा अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया है। इस सन्दर्भ में यह भी वर्णित किया जाता है कि उक्त वाहन में वर्ष भर में कृत सभी यात्राओं को स्थानीय यात्राएँ ही मानते हुए पेट्रोल खपत की गणना की जाए तो भी वर्ष भर में यथा गणना परिशिष्ट "त" उक्त वाहन में ₹14,538/- के पेट्रोल की अधिक खपत की गई है जिसकी वसूली सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्र द्वारा जारी अनुदेशों के दृष्टिगत सम्बन्धित चालक से की जानी अपेक्षित है। अतः अपेक्षित कार्रवाई से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

23 ₹21,063 की कटौती करवा दी गई है।

निवासी अंकेक्षण योजना में पूर्वांकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए गए विभिन्न बिलों की वर्ष 2010-11 में जाँच पड़ताल दौरान ही ₹21,063 की कटौती करवा दी गई है। अतः विपणन समिति प्राधिकारियों को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में पूर्वांकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न बिलों की सही प्रकार से जाँच पड़ताल के उपरान्त ही इन्हें अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें व आन्तरिक लेखा प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाए ताकि अनियमित अदायगी से बचा जा सके।

24 मण्डी समिति षिमला व किन्नौर ढली, षिमला-12 के लेखों का रख-रखाव असन्तोष जनक है।

मण्डी समिति षिमला व किन्नौर ढली, षिमला-12 के लेखों का रख-रखाव असन्तोष जनक है। गत वर्षों की तुलना में कुछ सुधार भी देखने में आया है फिर भी लेखों के रखरखाव में जितना सुधार अपेक्षित है उसके अनुसार यह सुधार नाकाफी है जैसे कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा बैंक समाधान विवरणिकाएँ भी नहीं बनाई जाती हैं और बैंक खातों का नियमानुसार मिलान भी नहीं किया जा रहा है। पुराने लम्बित पड़े अंकेक्षण पैरों व अंकेक्षण अधियाचनाओं को निपटाने में गतिशीलता नगण्य है व अंकेक्षण हेतु सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है जिस कारण जहाँ अंकेक्षण कार्य में अवरोध पैदा होता है, वहीं अंकेक्षण प्रतिवदेन को तैयार

करने में भी विलम्ब होता है। मण्डी समिति कार्यालय द्वारा वर्ष 2010-11 की वित्तीय स्थिति व अन्य अभिलेख/सूचनाएँ अंकक्षण को प्रस्तुत न किए जाने के कारण इन सूचनाओं का उल्लेख इस अंकक्षण प्रतिवेदन में नहीं हो सका। अतः निष्कर्ष यह है कि मण्डी समिति का रिपोर्ट अवधि का लेखा जोखा कार्य असन्तोष जनक है जिसमें सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

%vui dekj ?kk : %

vd{k.k fj ikV vof/k 4@2010 l 3@2011

¼ijk 1¼iv½ d l kFk i<k tk, ½

Hkkx&3

lkjkuh yfEcr iMh vd{k.k vkifUk; k dh orieku fLFkfr

¼d½ y[kk ijh{k fj ikV vof/k 7@74 l 3@83

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6(ए)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(सी)	अनिर्णीत
5	पैरा 10(बी)	अनिर्णीत
6	पैरा 10(सी)	अनिर्णीत
7	पैरा 12	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 15	अनिर्णीत

¼[k½ y[kk ijh{k fj ikV vof/k 4@83 l 3@84

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7(ए)	अनिर्णीत

¼x½ y[kk ijh{k fj ikV vof/k 4@84 l 3@85

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ए)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(ए)	अनिर्णीत
4	पैरा 8(ए)	अनिर्णीत
5	पैरा 8(डी)	अनिर्णीत

6	पैरा 8(ई)	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 12	अनिर्णीत
9	पैरा 13	अनिर्णीत
10	पैरा 15	अनिर्णीत
11	पैरा 16(3)	अनिर्णीत
12	पैरा 16(8)	अनिर्णीत
13	पैरा 16(9)	अनिर्णीत

¼?k½ y[kk ij{kk fjikV vof/k 4@85 I 3@86

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7(1)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(6)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(7)	अनिर्णीत
5	पैरा 7(14)	अनिर्णीत
6	पैरा 9(सी)	अनिर्णीत
7	पैरा 10(1)	अनिर्णीत
8	पैरा 10(2)	अनिर्णीत
9	पैरा 11	अनिर्णीत
10	पैरा 12(1)	अनिर्णीत

¼ ¾ y[kk ij{kk fjikV vof/k 4@86 I 3@88

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ए)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत
4	पैरा 10(बी)	अनिर्णीत

5	पैरा 10(डी से जी)	अनिर्णीत
6	पैरा 11(ए से डी)	अनिर्णीत
7	पैरा 12	अनिर्णीत

¼p½ y[kk ijh{kk fjikV vof/k 4@88 l 3@91

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 6(क से ङ तक)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(क से ग तक)	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 9(ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 10(क से ग तक)	अनिर्णीत
7	पैरा 10(च)(1 से 7 तक)	अनिर्णीत
8	पैरा 10(5)(1 से 4 तक)	अनिर्णीत
9	पैरा 11	अनिर्णीत
10	पैरा 12(क से ख तक)	अनिर्णीत
11	पैरा 14	आंशिक निर्णीत
12	पैरा 14(क तथा ङ)	अनिर्णीत
13	पैरा 15(ख तथा ग)	अनिर्णीत
14	पैरा 16 (क,ख,ग,घ,च,छ,ज,झ,ञ एवं ट)	अनिर्णीत
15	पैरा 17	अनिर्णीत
16	पैरा 18(क)	अनिर्णीत
17	पैरा 20	अनिर्णीत
18	पैरा 22	अनिर्णीत
19	पैरा 23	अनिर्णीत
20	पैरा 24(क तथा ख)	अनिर्णीत

21	पैरा 25	अनिर्णीत
22	पैरा 26	अनिर्णीत
23	पैरा 27	अनिर्णीत
24	पैरा 28	अनिर्णीत
25	पैरा 29	अनिर्णीत

य[kk ij{kk fjikV vof/k 4@91 l 3@96

1	पैरा 3(ग)(3)	अनिर्णीत
2	पैरा 3(ग)(4)	अनिर्णीत
3	पैरा 3(ग)(9)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(क)(4)	अनिर्णीत
5	पैरा 5	अनिर्णीत
6	पैरा 6(क,ख-1 से 5,ग,घ,ङ,च तथा छ)	अनिर्णीत
7	पैरा 7(क)(1,4,5,6) तथा (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा 7(क)(3)	अनिर्णीत
9	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
10	पैरा 8(ख)	आंषिक निर्णीत
11	पैरा 8(ग)	अनिर्णीत
12	पैरा 9(3)	अनिर्णीत
13	पैरा 10(क)(2)	अनिर्णीत
14	पैरा 10(ङ)	अनिर्णीत
15	पैरा 10(ख)(2)	आंषिक निर्णीत
16	पैरा 10(घ)(1 तथा 2)	अनिर्णीत
17	पैरा 10(च)(1)	अनिर्णीत
18	पैरा 10(च)(3)	अनिर्णीत

19	पैरा 10(ज)(1) (ए तथा बी)	अनिर्णीत
20	पैरा 10(ज) (2 तथा 3)	अनिर्णीत
21	पैरा 10(झ)	आंषिक निर्णीत
22	पैरा 10(ण)	अनिर्णीत
23	पैरा 11	अनिर्णीत
24	पैरा 12	अनिर्णीत
25	पैरा 13	अनिर्णीत
26	पैरा 14	अनिर्णीत
27	पैरा 15	अनिर्णीत
28	पैरा 16	अनिर्णीत
29	पैरा 17	अनिर्णीत
30	पैरा 18	अनिर्णीत
31	पैरा 19	अनिर्णीत
32	पैरा 20	अनिर्णीत
33	पैरा 21	अनिर्णीत
34	पैरा 22	अनिर्णीत
35	पैरा 23	अनिर्णीत

¼ t ½ y[kk ij{k fji kV. vof/k 4@96 l 3@99

1	पैरा 3(ख)(2)	अनिर्णीत
2	पैरा 3(ख)(3)	अनिर्णीत
3	पैरा 3(ख)(7)	अनिर्णीत
4	पैरा 3(ख)(9 से 12)	अनिर्णीत
5	पैरा 3(ग)(3)	अनिर्णीत
6	पैरा 3(ग)(6)	अनिर्णीत

7	पैरा 3(ग)(8)	अनिर्णीत
8	पैरा 3(ग)(9)	अनिर्णीत
9	पैरा 6(क)	अंशिक निर्णीत
10	पैरा 6(ख)	अंशिक निर्णीत
11	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
12	पैरा 7(1)	अनिर्णीत
13	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
14	पैरा 8(ख)(1 से 5)	अनिर्णीत
15	पैरा 8(ग)(1 से 2)	अनिर्णीत
16	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
17	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत
18	पैरा 9(ग)	अनिर्णीत
19	पैरा 10(क)	अनिर्णीत
20	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत
21	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत
22	पैरा 11(1 से 9)	अनिर्णीत
23	पैरा 12	अनिर्णीत
24	पैरा 13	अनिर्णीत
25	पैरा 14	आंशिक निर्णीत
26	पैरा 15	आंशिक निर्णीत
27	पैरा 17	अनिर्णीत
28	पैरा 18	अनिर्णीत
29	पैरा 19(क से घ)	अनिर्णीत
30	पैरा 20	अनिर्णीत

31	पैरा 21	अनिर्णीत
32	पैरा 22	अनिर्णीत
33	पैरा 23	अनिर्णीत
34	पैरा 24	अनिर्णीत
35	पैरा 28	अनिर्णीत
36	पैरा 29(क तथा ख)	अनिर्णीत
37	पैरा 30	अनिर्णीत
38	पैरा 34(क)	अनिर्णीत
39	पैरा 34(ख)	अनिर्णीत
40	पैरा 34(ग)	अनिर्णीत
41	पैरा 35(1)	अनिर्णीत
42	पैरा 35(2 तथा 3)	अनिर्णीत
43	पैरा 35(5)	अनिर्णीत
44	पैरा 35(6)	अनिर्णीत
45	पैरा 35(7)	अनिर्णीत
46	पैरा 36(1 से 3)	अनिर्णीत
47	पैरा 38(1 से 4)	अनिर्णीत
48	पैरा 39	अनिर्णीत
49	पैरा 41	अनिर्णीत
50	पैरा 42	अनिर्णीत
51	पैरा 43	अनिर्णीत

यू.के. वि. सं. 4/99। 3/2000

1	पैरा 3(ख)(10)	अनिर्णीत
2	पैरा 3(ख)(11)	अनिर्णीत

3	पैरा 3(ख)(12)	अनिर्णीत
4	पैरा 3(ग)2(1)	अनिर्णीत
5	पैरा 3(ग)2(2)	अनिर्णीत
6	पैरा 3(ग)2(3)	अनिर्णीत
7	पैरा 3(ग)2(6)	अनिर्णीत
8	पैरा 3(ग)2(7)	अनिर्णीत
9	पैरा 3(ग)2(9)	अनिर्णीत
10	पैरा 3(ग)2(10)	अंशिक निर्णीत
11	पैरा 3(ग)2(12)	अनिर्णीत
12	पैरा 3(घ)(1 से 3)	अनिर्णीत
13	पैरा 9	अंशिक निर्णीत
14	पैरा 10	अनिर्णीत
15	पैरा 11	अनिर्णीत
16	पैरा 13	अनिर्णीत
17	पैरा 14	अनिर्णीत
18	पैरा 15	अनिर्णीत
19	पैरा 16	अनिर्णीत
20	पैरा 17	अनिर्णीत
21	पैरा 18(ख)	अनिर्णीत
22	पैरा 19	अनिर्णीत
23	पैरा 20	अनिर्णीत
24	पैरा 22	अनिर्णीत
25	पैरा 23	अनिर्णीत
26	पैरा 24	अनिर्णीत

27	पैरा 26	अनिर्णीत
28	पैरा 28	अनिर्णीत
29	पैरा 29	अनिर्णीत
30	पैरा 31	अनिर्णीत
31	पैरा 32	अनिर्णीत
32	पैरा 34	अनिर्णीत
33	पैरा 35	अनिर्णीत
34	पैरा 37(1)	अनिर्णीत
35	पैरा 37(2)	अनिर्णीत
36	पैरा 37(3)(1 से 6)	अनिर्णीत
37	पैरा 38	अनिर्णीत
38	पैरा 40	अनिर्णीत
39	पैरा 41	अनिर्णीत
40	पैरा 42	अनिर्णीत
41	पैरा 43(1 से 14)	अनिर्णीत
42	पैरा 44	अनिर्णीत

यू.के. य.के. ई.के. ए.के. वी.के. 4@2000 । 3@2001

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8(क तथा ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 9(ग)	अंशिक निर्णीत
7	पैरा 9(घ)	अनिर्णीत

8	पैरा 10	अनिर्णीत
9	पैरा 11(क तथा ख)	अनिर्णीत
10	पैरा 12	अनिर्णीत
11	पैरा 14(ख)	अंशिक निर्णीत
12	पैरा 15	अनिर्णीत
13	पैरा 16(क से घ तथा ण)	अनिर्णीत
14	पैरा 17	अनिर्णीत
15	पैरा 18	अंशिक निर्णीत
16	पैरा 19	अनिर्णीत
17	पैरा 20	अनिर्णीत
18	पैरा 21	अनिर्णीत
19	पैरा 23	अनिर्णीत
20	पैरा 24	अनिर्णीत
21	पैरा 25	अनिर्णीत
22	पैरा 26	अनिर्णीत
23	पैरा 27	अनिर्णीत
24	पैरा 28	अनिर्णीत
25	पैरा 30	अनिर्णीत
26	पैरा 31	अनिर्णीत
27	पैरा 32	अनिर्णीत
28	पैरा 33	अनिर्णीत
29	पैरा 34	अनिर्णीत
30	पैरा 35	अनिर्णीत
31	पैरा 36(क से घ तथा ण)	अनिर्णीत

32	पैरा 38	अनिर्णीत
33	पैरा 39	अनिर्णीत
34	पैरा 40	अनिर्णीत
35	पैरा 41	अनिर्णीत
36	पैरा 42	अनिर्णीत
37	पैरा 43	अनिर्णीत
38	पैरा 45	अनिर्णीत
39	पैरा 46(क तथा ख)	अनिर्णीत

य. 4@2001 । 3@2002

1	पैरा 5(क,ख तथा ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 9	अनिर्णीत
6	पैरा 10	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 12	अनिर्णीत
9	पैरा 13	अनिर्णीत
10	पैरा 14	अनिर्णीत
11	पैरा 15	अनिर्णीत
12	पैरा 18	निर्णीत
13	पैरा 19	अनिर्णीत
14	पैरा 20	अनिर्णीत
15	पैरा 21	अनिर्णीत

16	पैरा 22	निर्णीत	(अ0अ0 के पत्र संख 461, दिनांक 03.05.12 के दृष्टिगत निर्णीत)
17	पैरा 23	अनिर्णीत	
18	पैरा 24	अनिर्णीत	
19	पैरा 25	अनिर्णीत	
20	पैरा 26	अनिर्णीत	
21	पैरा 27	अनिर्णीत	
22	पैरा 28	अनिर्णीत	
23	पैरा 29	अनिर्णीत	
24	पैरा 30	अनिर्णीत	
25	पैरा 31	अनिर्णीत	
26	पैरा 32	अनिर्णीत	
27	पैरा 34	अनिर्णीत	
28	पैरा 35	अनिर्णीत	
29	पैरा 36	अनिर्णीत	
30	पैरा 37	अनिर्णीत	
31	पैरा 38	अनिर्णीत	
32	पैरा 39	अनिर्णीत	
33	पैरा 40(ए तथा बी)	अनिर्णीत	
34	पैरा 41	अनिर्णीत	
35	पैरा 42	अनिर्णीत	
36	पैरा 43	अनिर्णीत	
37	पैरा 44	अनिर्णीत	
38	पैरा 45	अनिर्णीत	

1	પૈરા 5	અનિર્ણીત
2	પૈરા 6	અનિર્ણીત
3	પૈરા 7	અનિર્ણીત
4	પૈરા 8	અનિર્ણીત
5	પૈરા 9	અનિર્ણીત
6	પૈરા 10	અનિર્ણીત
7	પૈરા 11	અનિર્ણીત
8	પૈરા 12	અનિર્ણીત
9	પૈરા 13	અનિર્ણીત
10	પૈરા 14	અનિર્ણીત
11	પૈરા 15	અનિર્ણીત
12	પૈરા 16	અનિર્ણીત
13	પૈરા 17	અનિર્ણીત
14	પૈરા 18	અનિર્ણીત
15	પૈરા 19	અનિર્ણીત
16	પૈરા 20	અનિર્ણીત
17	પૈરા 21	અનિર્ણીત
18	પૈરા 22	અનિર્ણીત
19	પૈરા 23	અનિર્ણીત
20	પૈરા 24	અનિર્ણીત
21	પૈરા 25	અનિર્ણીત
22	પૈરા 26	અનિર્ણીત
23	પૈરા 27	અનિર્ણીત

24	પૈરા 28	અનિર્ણીત
25	પૈરા 29	અનિર્ણીત
26	પૈરા 30	અનિર્ણીત
27	પૈરા 31	અનિર્ણીત
28	પૈરા 32	અનિર્ણીત
29	પૈરા 33	અનિર્ણીત
30	પૈરા 34	અનિર્ણીત
31	પૈરા 35	અનિર્ણીત
32	પૈરા 36	અનિર્ણીત
33	પૈરા 37	અનિર્ણીત
34	પૈરા 38	અનિર્ણીત
35	પૈરા 39	અનિર્ણીત

૧/૧૧ વડાધિકારી વડાધિકારી 4@2003 I 3@2004

1	પૈરા 5	અનિર્ણીત
2	પૈરા 6	અનિર્ણીત
3	પૈરા 7	અનિર્ણીત
4	પૈરા 8	અનિર્ણીત
5	પૈરા 9	અનિર્ણીત
6	પૈરા 10	અનિર્ણીત
7	પૈરા 11	અનિર્ણીત
8	પૈરા 12	અનિર્ણીત
9	પૈરા 13	અનિર્ણીત
10	પૈરા 14	અનિર્ણીત
11	પૈરા 15	અનિર્ણીત

12	પૈરા 17	અનિર્ણીત
13	પૈરા 18	અનિર્ણીત
14	પૈરા 19	અનિર્ણીત
15	પૈરા 20	અનિર્ણીત
16	પૈરા 21	અનિર્ણીત
17	પૈરા 22	અનિર્ણીત
18	પૈરા 23	અનિર્ણીત
19	પૈરા 24	અનિર્ણીત
20	પૈરા 25	અનિર્ણીત
21	પૈરા 27	અનિર્ણીત
22	પૈરા 29	અનિર્ણીત
23	પૈરા 30	અનિર્ણીત
24	પૈરા 31	અનિર્ણીત

વિધાનસભાના ચૂંટણી પંચ દ્વારા 4@2004 ના 3@2005

1	પૈરા 4	અનિર્ણીત
2	પૈરા 5	અનિર્ણીત
3	પૈરા 6	અનિર્ણીત
4	પૈરા 7	અનિર્ણીત
5	પૈરા 8	અનિર્ણીત
6	પૈરા 9	અનિર્ણીત
7	પૈરા 10	અનિર્ણીત
8	પૈરા 11	અનિર્ણીત
9	પૈરા 12	અનિર્ણીત
10	પૈરા 13	અનિર્ણીત

11	પૈરા 14	અનિર્ણીત
12	પૈરા 15	અનિર્ણીત
13	પૈરા 16	અનિર્ણીત
14	પૈરા 17	અનિર્ણીત
15	પૈરા 19	અનિર્ણીત
16	પૈરા 20	અનિર્ણીત
17	પૈરા 22	અનિર્ણીત
18	પૈરા 23	અનિર્ણીત
19	પૈરા 24	અનિર્ણીત
20	પૈરા 25	અનિર્ણીત
21	પૈરા 26	અનિર્ણીત
22	પૈરા 27	અનિર્ણીત
23	પૈરા 28	અનિર્ણીત
24	પૈરા 29	અનિર્ણીત
25	પૈરા 32	અનિર્ણીત
26	પૈરા 33	અનિર્ણીત
27	પૈરા 34	અનિર્ણીત
28	પૈરા 35	અનિર્ણીત
29	પૈરા 36	અનિર્ણીત
30	પૈરા 37	અનિર્ણીત

વડાધિકારી વડાધિકારી 4@2005 I 3@2006

1	પૈરા 1	અનિર્ણીત
2	પૈરા 4	અનિર્ણીત
3	પૈરા 5	અનિર્ણીત

4	પૈરા 6	અનિર્ણીત
5	પૈરા 7	અનિર્ણીત
6	પૈરા 8	અનિર્ણીત
7	પૈરા 9	અનિર્ણીત
8	પૈરા 10	અનિર્ણીત
9	પૈરા 11	અનિર્ણીત
10	પૈરા 12	અનિર્ણીત
11	પૈરા 13	અનિર્ણીત
12	પૈરા 14	અનિર્ણીત
13	પૈરા 16	અનિર્ણીત
14	પૈરા 18	અનિર્ણીત
15	પૈરા 21	અનિર્ણીત
16	પૈરા 24	અનિર્ણીત
17	પૈરા 25	અનિર્ણીત
18	પૈરા 26	અનિર્ણીત
19	પૈરા 27	અનિર્ણીત
20	પૈરા 28	અનિર્ણીત
21	પૈરા 29	અનિર્ણીત
22	પૈરા 31	અનિર્ણીત
23	પૈરા 32	અનિર્ણીત
24	પૈરા 33	અનિર્ણીત
25	પૈરા 35	અનિર્ણીત
26	પૈરા 36	અનિર્ણીત
27	પૈરા 37	અનિર્ણીત

28	पैरा 38	अनिर्णीत
29	पैरा 39	अनिर्णीत
30	पैरा 40	अनिर्णीत

विवरण 4@2006 I 3@2007

1	पैरा 1	अनिर्णीत
2	पैरा 2	अनिर्णीत
3	पैरा 3	अनिर्णीत
4	पैरा 4	अनिर्णीत
5	पैरा 5	अनिर्णीत
6	पैरा 6	अनिर्णीत
7	पैरा 7	अनिर्णीत
8	पैरा 8	अनिर्णीत
9	पैरा 9	अनिर्णीत
10	पैरा 10	अनिर्णीत
11	पैरा 11	अनिर्णीत
12	पैरा 12	अनिर्णीत
13	पैरा 13	अनिर्णीत
14	पैरा 14	अनिर्णीत
15	पैरा 15	अनिर्णीत
16	पैरा 17	अनिर्णीत
17	पैरा 18	अनिर्णीत
18	पैरा 19	अनिर्णीत
19	पैरा 20	अनिर्णीत
20	पैरा 21	अनिर्णीत
21	पैरा 22	अनिर्णीत
22	पैरा 23	निर्णीत
23	पैरा 24	अनिर्णीत

(Settled on 06-09-11 by S.O.
Smt. Indra Verma)

24	પૈરા 25	અનિર્ણીત
25	પૈરા 26	અનિર્ણીત
26	પૈરા 27	અનિર્ણીત
27	પૈરા 28	અનિર્ણીત
28	પૈરા 29	અનિર્ણીત
29	પૈરા 30	અનિર્ણીત

૪Q૪ vદ{k.k fજi{kV vof/k 4@2007 I 3@2008

1	પૈરા 6	અનિર્ણીત
2	પૈરા 7	અનિર્ણીત
3	પૈરા 8	અનિર્ણીત
4	પૈરા 9	અનિર્ણીત
5	પૈરા 10	અનિર્ણીત
6	પૈરા 11	અનિર્ણીત
7	પૈરા 12	અનિર્ણીત
8	પૈરા 13	અનિર્ણીત
9	પૈરા 14	અનિર્ણીત
10	પૈરા 15	અનિર્ણીત
11	પૈરા 16	અનિર્ણીત
12	પૈરા 17	અનિર્ણીત
13	પૈરા 18	અનિર્ણીત
14	પૈરા 19	અનિર્ણીત
15	પૈરા 20	અનિર્ણીત
16	પૈરા 21	અનિર્ણીત

वर्ष 4@2008 से 3@2009

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत
7	पैरा 12	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 14	अनिर्णीत
10	पैरा 15	अनिर्णीत
11	पैरा 16	अनिर्णीत
12	पैरा 17	अनिर्णीत
13	पैरा 18	अनिर्णीत
14	पैरा 19	अनिर्णीत
15	पैरा 20	अनिर्णीत
16	पैरा 21	अनिर्णीत

वर्ष 4@2009 से 3@2010

1	पैरा 6 से पैरा 21	सभी अनिर्णीत हैं	
2	पैरा 22	निर्णीत	(अ0अ0 के पृष्ठांकन संख्या: 461, दिनांक 03.05.12 के दृष्टिगत निर्णीत)
3	पैरा 23	अनिर्णीत	

vd{k.k fjikV vof/k 01-04-2010 l 31-03-2011

vd{k.k ifronu dk lUnfhkr ijk 1%iii%

ijkuh vd{k.k vkifUk;k dh oreku fLFkfr

%d% ch l o"kk l vf/kd vof/k d yfEcr iM vd{k.k iij %&

Ø0 l.0	y[ijh{ vof/k	yfEcr iM iij	fu.khr fd, x, ijk dk foj.k
1	4/74 से 3/83	पैरा 4, 5, 6(ए), 6(सी), 10(बी), 10(सी), 12, 13 तथा 16	शून्य
2	4/83 से 3/84	पैरा 6 तथा 7(ए)	शून्य
3	4/84 से 3/85	पैरा 5, 6(ए), 7(ए), 8(ए), 8(डी), 8(ई), 11, 12, 13, 15, 16(3), 16(8) तथा पैरा 16(9)	शून्य
4	4/85 से 3/86	पैरा 6, 7(1), 7(6), 7(7), 7(14) 9(सी), 10(1), 10(2), 11 तथा पैरा 12(1)	शून्य
5	4/86 से 3/88	पैरा 5, 6(ए), 6(बी), 10(बी), 10(डी से जी तक), 11(ए से डी तक) तथा पैरा 12	शून्य
6	4/88 से 3/91	पैरा 5, 6(क से ड तक), 7(क से ग), 8, 9(ग), 10(क से ग), 10(च)(1 से 7), 10(5)(1 से 4) 11, 12(क तथा ख), 14, 14(क तथा ड), 15(ख तथा ग), 16(क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ञ तथा ट) 17, 18(क), 20, 22, 23, 24(क तथा ख), 25, 26, 27, 28 तथा पैरा 29	शून्य

¼[k½ iUng o"kkā o m l l vf/kd vof/k d yfEcr iM vd{k.k ij %&

Ø0 l.0	y:[kk ijh{k vof/k	yfEcr iM ij	fu.kh'r fd, x, ijk dk fooj.k
1	4/91 से 3/96	पैरा 3(ग)(3 तथा 4), 3(ग)(9), 4(क)(4), 5, 6(क,ख 1से 5, ग,घ,ङ,च तथा छ), 7(क)(1,4,5,6 तथा ख), 7(क)(3), 8(क), 8(ख), 8(ग), 9(3), 10(क)(2), 10(ख)(2), 10(ङ), 10(घ)(1 तथा 2), 10(च)(1), 10(च)(3), 10(ज)(1)(ए तथा बी), 10(ज)(2 तथा 3), 10(झ), 10(ण), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तथा 23	शून्य

¼x½ vkB o"kkā l vf/kd vof/k d yfEcr iM vd{k.k ij %&

1	04/96 से 03/99	पैरा 3(ख)(2), 3(ख)(3), 3(ख)(7), 3(ख)(9 से 12), 3(ग)(3), 3(ग)(6), 3(ग)(8), 3(ग)(9), 6(क), 6(ख), 6(ग), 7(1), 8(क), 8(ख)(1 से 5), 8(ग)(1 तथा 2), 9(क), 9(ख), 9(ग), 10(क), 10(ख), 10(ग), 11(1 से 9), 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19(क से घ), 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29(क तथा ख), 30, 34(क), 34(ख), 34(ग), 35(1), 35(2 तथा 3), 35(5), 35(6), 35(7), 36(1 से 3), 38(1 से 4), 39, 41, 42 तथा 43	शून्य
2	4/99 से 3/2000	पैरा 3(ख)(10), 3(ख)(11), 3(ख)(12), 3(ग)(2)(1), 3(ग)2(2), 3(ग)2(3), 3(ग)2(6), 3(ग)2(7), 3(ग)2(9), 3(ग)2(10), 3(ग)2(12), 3(घ)(1 से 3) 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18(ख), 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37(1), 37(2), 37(3)(1 से 6), 38, 40, 41, 42, 43(1 से 14) पैरा 44	शून्य
3	4/2000 से 3/2001	पैरा 5, 7, 8(क तथा ख), 9(ख), 9(ग), 9(घ), 10, 11(क तथा ख) 12, 14(ख), 15, 16(क से घ तथा ण), 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36(क से घ तथा ण), 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46(क तथा ख)	शून्य

Hkkx&4%[k½

¼³½ ¼yfEcr iMh vdf{k.k vf/k;kpuk,¼ ¼vuyXud Mh&2 ijk 24 d l kFk i<¼½

o"k 2010&11 d nkjku vdf{k.k }kj e.Mh lfevr dk;kY; dk tkjh dh xb vdf{k.k vf/k;kpukvk e l fuEufyf[kr vdf{k.k vf/k;kpuk, fuivkj gr vHkh 'k" k g %&

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 24, दिनांक 05.06.10, 29, दिनांक 15.06.10, 37, दिनांक 03.07.10, 55, दिनांक 07.08.10, 60, दिनांक 07.09.10, 62, दिनांक 09.09.10, 75, दिनांक 07.10.10, 93, दिनांक 23.10.10, व 123, दिनांक 27.11.10।

अतः उपरोक्त सभी लम्बित अंकेक्षण अध्याचनाओं का निपटारा सुनिश्चित करने के साथ-साथ वर्ष 2000-2001 से वर्ष 2009-2010 तक की सभी लम्बित अंकेक्षण अध्याचनाओं का निपटारा भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

df'k mit e.Mh lfebr f'keyk ,o fdUukj fLFkr <yh f'keyk&12 d vdf{k.k vof/k 2010&11 d vdf{k.k ifronu d ijk 8 d lUnHk e 1/2 ifjf'k"V M[k&1**1/2

Øe l0	Qe dk uke@fooj.k	vof/k ft le 0;kikj 'kU; n'kk;k x;k g
1	मैं0 अषोक कुमार एण्ड कम्पनी सब्जी मण्डी षिमला	01.04.2010 से 30.09.2010
2	मैं0 अषोक कुमार एण्ड कम्पनी सब्जी मण्डी षिमला	25.01.2011 से 31.03.2011
3	मैं0 आर0के0 इन्टरप्राईजिज, 10 ओल्ड वाईन, शॉप सब्जी मण्डी ग्राऊण्ड	15.05.2010 से 31.01.2011
4	मैं0 मधुसूदन फ्रूट एण्ड वेजिटेबल एजैन्सी, सब्जी मण्डी षिमला	01.09.2010 से 30.09.2010
5	मैं0 मस्त राम, स्टाल नम्बर 218 सब्जी मण्डी, षिमला	26.08.2010 से 17.09.2010 18.11.2010 से 30.11.2010 15.12.2010 से 03.01.2011
6	मैं0 अरबिन्द सिंह बान्गा भागटा भवन पन्थाघाटी षिमला	01.04.2010 से 30.04.2010 01.06.2010 से 30.06.2010 01.09.2010 से 21.03.2011
7	मैं0 आर0के0 विपन, दुकान नम्बर 115, लोअर बाजार षिमला	01.04.2010 से 24.10.2010 01.11.2010 से 31.03.2011
8	मैं0 दुर्गा फ्रूट कम्पनी, सब्जी मण्डी षिमला	17.11.2010 से 30.03.2011
9	मैं0 परमिन्द्र सिंह बान्गा, 25 गंज रोड़ षिमला	01.04.2010 से 31.08.2010 01.01.2011 से 28.02.2011
10	मैं0 आफसा ऐप्पल एजैन्सी, सब्जी मण्डी षिमला	15.06.2010 से 19.09.2010
11	मैं0 मस्त किंग, शॉप नम्बर 221, सब्जी मण्डी षिमला	02.09.2010 से 15.10.2010
12	मैं0 दुर्गा उपभोगता सभा, 34 पंचायत भवन षिमला	24.05.2010 से 07.07.2010 09.07.2010 से 09.12.2010
13	मैं0 श्याम लाल ठाकुर, स्टॉल नम्बर 261, सब्जी मण्डी षिमला	10.08.2010 से 14.09.2010

14	मै0 पी0 कृष्ण कुमार ब्लॉक ए, दुकान नम्बर 12, सब्जी मण्डी षिमला	01.04.2010 से 31.07.2010 30.09.2010 से 31.03.2011
15	मै0 केला भण्डार, दुकान नम्बर 12, सब्जी मण्डी ढली	01.04.2010 से 28.09.2010
16	मै0 दिनेष कुमार एण्ड कम्पनी, दुकान नम्बर 15 ढली	01.04.2010 से 27.03.2011
17	मै0 लाला अमरनाथ भाटिया एण्ड कम्पनी, दुकान नम्बर 3, सब्जी मण्डी ढली	25.09.2010 से 31.03.2011
18	मै0 शर्मा ब्रदर्स ट्रेडर्स दुकान नम्बर 11, ढली	01.12.2010 से 31.03.2011
19	मै0 हरपाल सिंह, हरजीत सिंह, दुकान नम्बर 33 ढली	09.02.2011 से 31.03.2011
20	मै0 साहनी ट्रेडिंग कम्पनी, दुकान नम्बर 40 ढली	09.11.2010 से 31.03.2011
21	मै0 चौहान ब्रदर्स, दुकान नम्बर 5 ढली	01.04.2010 से 30.04.2010 01.06.2010 से 24.06.2010 10.10.2010 से 31.03.2011
22	मै0 अनूप फ्रूट कम्पनी, दुकान नम्बर 50 ढली	16.10.2010 से 31.03.2011
23	मै0 रावत फ्रूट ट्रेडर्स, दुकान नम्बर 2 ढली	01.04.2010 से 15.05.2010
24	मै0 के0के0 ट्रेडिंग कम्पनी, दुकान नम्बर 16 ढली	01.04.2010 से 31.05.2010 23.10.2010 से 31.03.2011 29.10.2010 से 31.03.2011
25	मै0 यूनाईटेड फ्रूट एण्ड बैजिटेबल कम्पनी, दुकान नम्बर 8 ढली	01.09.2010 से 31.03.2011
26	मै0 बाला जी ट्रेडर्स, दुकान नम्बर 34 ढली	06.11.2010 से 31.03.2011
27	मै0 प्रताप सिंह, सुनील कुमार, दुकान नम्बर 38 ढली	15.11.2010 से 31.03.2011
28	मै0 गौरव फ्रूट एजैन्सी दुकान नम्बर 26 ढली	18.11.2010 से 31.03.2011
29	मै0 एम ट्रेडिंग कम्पनी, दुकान नम्बर 11 ढली	08.11.2010 से 31.03.2011
30	मै0 निर्मला फ्रूट एजैन्सी, दुकान नम्बर 52 ढली	23.10.2010 से 10.11.2010 12.11.2010 से 31.03.2011
31	मै0 मुनीष बैजिटेबल, दुकान नम्बर 5 ढली	01.04.2010 से 30.06.2010 21.10.2010 से 31.03.2011
32	मै0 हाटेष्चरी ट्रेडिंग कम्पनी, दुकान नम्बर 47 ढली	27.11.2010 से 24.03.2011
33	मै0 षिमला वैजिटेबल कम्पनी, दुकान नम्बर 9 ढली	15.10.2010 से 31.03.2011

34	मै0 नरेश कुमार कैलाश चन्द ढली, दुकान नम्बर 14	01.12.2010 से 27.03.2011
35	मै0 विकास फ्रूट कम्पनी दुकान नम्बर 13 ढली	01.12.2010 से 31.03.2011
36	मै0 सी0जे0 फ्रूट कम्पनी, दुकान नम्बर 25 ढली	01.12.2010 से 31.03.2011
37	मै0 बूटा राम राठौर एण्ड सन्ज, दुकान नम्बर 31 ढली	30.11.2010 से 31.03.2011
38	मै0 नीषान्त फ्रूट कम्पनी, दुकान नम्बर 18 ढली	01.11.2010 से 31.03.2011
39	मै0 रूपा मल सीता राम, दुकान नम्बर 62(10) ढली	09.12.2010 से 18.03.2011
40	मै0 कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी, दुकान नम्बर 21 ढली	09.12.2010 से 30.03.2011
41	मै0 ज्ञान सिंह एण्ड सन्ज, दुकान नम्बर 27 ढली	01.12.2010 से 24.03.2011
42	मै0 जय माता देषु, दुकान नम्बर 29 ढली	30.11.2010 से 31.03.2011
43	मै0 पी0आर0 जे0 ट्रेडर्ज, दुकान नम्बर 53 ढली	28.10.2010 से 28.03.2011
44	मै0 ओम प्रकाश दिनेश कुमार, दुकान नम्बर 49 ढली	13.12.2010 से 31.03.2011
45	मै0 राज शाह सुषील कुमार, के0डी0एफ0 बिल्डिंग ढली	18.11.2010 से 31.03.2011
46	मै0 हाटेष्चरी ट्रेडिंग कम्पनी, दुकान नम्बर 12 ढली	07.12.2010 से 30.03.2011
47	मै0 चियोग बैजिटेबल कम्पनी, दुकान नम्बर 24 ढली	02.12.2010 से 27.03.2011
48	मै0 श्री राम ओम प्रकाश 34/5 अनाज मण्डी षिमला	18.05.2010 से 31.03.2011
49	मै0 रौनक ट्रेडर्ज, गंज बाजार षिमला	28.12.2010 से 31.03.2011
50	मै0 करता राम, अमरजीत, गंज रोड़ षिमला	01.04.2010 से 31.03.2011
51	मै0 मन्सा राम सुदर्शन कुमार, अनाज मण्डी षिमला	24.08.2010 से 11.01.2011 24.02.2011 से 31.03.2011
52	मै0 चिरन्जी लाल गौकुल चन्द, अनाज मण्डी षिमला	20.07.2010 से 23.08.2010
53	मै0 मूल चन्द एण्ड सन्ज, कार्ट रोड़ षिमला	28.09.2010 से 07.11.2010
54	मै0 भगवती उद्योग अनाज मण्डी षिमला	24.02.2011 से 31.03.2011
55	मै0 चौहान प्रोविजन स्टोर समीट्री	15.12.2010 से 30.01.2011
56	मै0 जमनी दास अजुर्न लाल, अनाज मण्डी षिमला	01.12.2010 से 31.12.2010 03.12.2010 से 31.03.2011
57	मै0 जे0डी0 ट्रेडिंग कम्पनी 35/1 अनाज मण्डी षिमला	01.04.2010 से 18.04.2010 01.05.2010 से 11.05.2010 20.05.2010 से 31.05.2010

		01.06.2010 से 12.07.2010
		13.10.2010 से 05.12.2010
		07.12.2010 से 15.02.2011
58	मै० राजेन्द्र सिंह कटोच, टूटू	01.06.10 से 31.07.2010
		01.08.2010 से 30.09.2010
59	मै० शर्मा डेली नीड, न्यू षिमला	24.10.2010 से 21.11.2010
		10.12.2010 से 27.12.2010
		29.12.2010 से 08.01.2011
60	मै० षिमला Education Research सोसायटी, सब्जी मण्डी षिमला	23.02.2011 से 31.03.2011
61	मै० शंकर सिंह, टिम्बर मरचैन्ट, लक्कड बाजार षिमला	24.05.2010 से 17.06.2010
		03.11.2010 से 02.12.2010
		24.12.2010 से 28.03.2011
62	मै० प्रकाष फर्नीचर फैक्टरी, षिमला	12.10.2010 से 25.11.2010
		02.02.2011 से 02.03.2011
		04.03.2011 से 29.03.2011
63	मै० आदित्य टिम्बर पन्थाघाटी षिमला	10.05.2010 से 02.07.2010
		17.02.2011 से 31.03.2011
64	मै० के०आर० मिल्ल, भटठाकुफर षिमला	06.12.2010 से 01.02.2011
		03.02.2011 से 31.03.2011
65	मै० करोल टिम्बर ट्रेडर्ज लक्कड बाजार षिमला	01.04.2010 से 30.09.2010
66	मै० प्रदुमन राम सूद एण्ड सन्ज लक्कड बाजार	01.09.2010 से 14.11.2010
		01.12.2010 से 28.02.2011
67	मै० आर०के० सी० किंगल	26.09.2010 से 31.03.2011
68	मै० कषीष एम्पल ग्रेडिंग पैकिंग कोल्ड स्टोर किंगल	01.10.2010 से 31.03.2011
69	मै० मैहता ब्रदरज बघाल रामपुर	15.09.2010 से 31.03.2011
70	मै० राज फर्नीचर हाऊस खनैरी रामपुर	08.09.2010 से 29.03.2011
71	मै० चमन इण्डस्ट्रीज रचोली रामपुर	21.10.2010 से 31.01.2011
72	मै० चमन लाल एण्ड ब्रदरज रचोली रामपुर	01.01.2011 से 31.03.2011
73	मै० श्याम तनयर मीट शॉप रामपुर	29.11.2010 से 31.03.2011

74	मैं0 जाट पोल्ट्री फार्म सराहन	16.09.2010 से 31.03.2011
75	मैं0 गुलेरिया डेली नीडज भावानगर	01.04.2010 से 30.06.2010
76	मैं0 हुक्म चन्द मीट शॉप कल्या	01.02.2011 से 31.03.2011
77	मैं0 कृष्ण लाल एण्ड सन्ज जुन्ना	01.04.2010 से 31.03.2011
78	मैं0 बांदली फल एवं सब्जी उत्पादक संघ बांदली (कोटी)	24.10.2010 से 31.03.2011
79	मैं0 भव्य ट्रेडिंग कम्पनी टुटू	01.10.2010 से 31.03.2011
80	मैं0 शर्मा ब्रदर्स ट्रेडर्स ठियोग	26.11.2010 से 31.03.2011
81	मैं0 ओम प्रकाश वर्मा एण्ड सन्ज दुकान नम्बर 17 ठियोग	13.11.2010 से 31.03.2011
82	मैं0 जिया लाल शर्मा एण्ड सन्ज शॉप नम्बर 18 ठियोग	21.11.2010 से 31.03.2011
83	मैं0 मोहन लाल शर्मा, दुकान नम्बर 19 ठियोग	01.11.2010 से 31.03.2011
84	मैं0 केषव राम हेटा एण्ड सन्ज दुकान नम्बर 10 ठियोग	20.07.2010 से 31.03.2011
85	मैं0 राम लाल शर्मा दुकान नम्बर 19 जैस घाटी ठियोग	01.11.2010 से 31.03.2011
86	मैं0 तिलक राज एण्ड सन्ज दुकान नम्बर 8 ठियोग	26.10.2010 से 31.03.2011
87	मैं0 अदानी एग्री फ्रैष लि0 सैंज, ठियोग	01.04.2010 से 04.08.2010 21.10.2010 से 31.03.2011
88	मैं0 परमा नन्द वर्मा एण्ड सन्ज शॉप नम्बर 16 ठियोग	13.07.2010 से 31.03.2011
89	मैं0 श्याम ट्रेडिंग कम्पनी फागू	01.04.2010 से 30.04.2010 12.08.2010 से 31.03.2011
90	मैं0 विनोद ट्रेडिंग कम्पनी फागू	21.08.2010 से 31.03.2011
91	मैं0 महेष्वर महाराज मषराह दुकान नम्बर 10 नेरवा	01.11.2010 से 31.03.2011
92	मैं0 षिमला सोलन फ्रूट एण्ड बैजिटेबल कम्पनी, दुकान नम्बर 8 नेरवा	01.10.2010 से 31.03.2011
93	मैं0 हैप्पी फ्रूट एण्ड बैजिटेबल कम्पनी शॉप नम्बर 6 नेरवा	01.10.2010 से 31.03.2011
94	मैं0 घौल्टा फ्रूट एण्ड बैजिटेबल एजैन्ट दुकान नम्बर 4 नेरवा	01.10.2010 से 31.03.2011
95	मैं0 सांई फल एवं सब्जी कमीषन एजैन्ट दुकान नम्बर 4 नेरवा	01.11.2010 से 31.03.2011
96	मैं0 महेन्द्रा ट्रेडिंग कम्पनी दुकान नम्बर 16 नेरवा	12.09.2010 से 31.03.2011
97	मैं0 चन्देल ट्रेडिंग कम्पनी दुकान नम्बर 3 नेरवा	01.10.2010 से 31.03.2011

98	मै० षिवालिक फ्रूट एण्ड वेजिटेबल कम्पनी दुकान नम्बर 1 नेरवा	01.10.2010 से 31.03.2011
99	मै० अन्नपूर्णा एप्पल एसोसियट दुकान नम्बर 15 नेरवा	10.09.2010 से 28.02.2011
100	मै० अजय फ्रूट कम्पनी दुकान नम्बर 17 नेरवा	10.09.2010 से 31.03.2011
101	मै० संजीव कुमार सचिन कुमार रोहडू	01.04.2010 से 11.07.2010
102	मै० जयवन्त सिंह नेगी रोहडू	01.04.2010 से 22.07.2010
103	मै० नोयला फ्रूट कम्पनी रोहडू	16.09.2010 से 31.03.2011
104	मै० कलम सिंह दुकान नम्बर 13 रोहडू	01.04.2010 से 29.06.2010
105	मै० अदानी एग्रीफैष लि० रोहडू	01.04.2010 से 31.07.2010 01.11.2010 से 31.03.2011
106	मै० एस०एल० फ्रूट कम्पनी रोहडू	21.09.2010 से 15.03.2011
107	मै० दुर्गा फ्रूट ट्रेडर्ज रोहडू	25.09.2010 से 31.03.2011
108	मै० रामेष्वर सिंह रोहडू	07.01.2011 से 03.02.2011
109	मै० किसान मार्किटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉ० ऑ० सोसाईटी रोहडू	01.04.2010 से 31.08.2010
110	मै० शाई राम फ्रूट कम्पनी रोहडू	21.10.2010 से 31.03.2011
111	मै० मोहिन्द्र सिंह कैथ रोहडू	01.04.2010 से 19.07.2010 08.10.2010 से 31.03.2011
112	मै० सोहन सिंह ठाकुर रोहडू	01.04.2010 से 29.07.2010
113	मै० राजेन्द्र शर्मा रोहडू	16.12.2010 से 31.03.2011
114	मै० श्यामा नन्द शर्मा	01.04.2010 से 31.03.2011
115	मै० मकसूद अहमद रोहडू	01.04.2010 से 19.07.2010
116	मै० देविन्द्र फिषटा शॉप नम्बर 13 रोहडू	01.04.2010 से 27.07.2010 12.10.2010 से 31.03.2011
117	मै० राजेन्द्र बांषट रोहडू	1.04.2010 से 16.08.2010 01.09.2010 से 31.03.2011
118	मै० टू स्टार फ्रूट कम्पनी रोहडू	01.04.2010 से 19.07.2010 13.09.2010 से 31.03.2011
119	मै० नखीर मीट शॉप चिड़गांव	23.02.2011 से 31.03.2011

120	मै० ब्रजष्वरी फ्रूट कम्पनी रोहडू	26.10.2010 से 17.03.2011
121	मै० लोर्ड विषनु फ्रूट कम्पनी रोहडू	01.10.2010 से 17.03.2011
122	मै० सदिक मीट शॉप रोहडू	28.12.2010 से 31.03.2011

df"k mit e.Mh lfebr f'keyk ,o fdUukj fLFkr <yh f'keyk&12 d vdf{k.k vof/k 2010&11 d vdf{k.k ifronu d ijk 9 d lUnHk e

Øe l.0	Qe dk fooj.k	lfylr vof/k ft ldk e.Mh 'kYd iklr ugh gvk g
1	मै0 सन्नी फ्रूट एजैन्सी डायरी स्टॉल नम्बर 8, सब्जी मण्डी षिमला	01.04.2010 से 31.03.2011
2	मैं0 विकास फ्रूट कम्पनी, दुकान नम्बर 12 सब्जी मण्डी षिमला	01.01.2011 से 28.02.2011
3	मैं0 आर0के0 इन्टर प्राइजिज, 10 ओल्ड बाईन शॉप सब्जी मण्डी ग्राऊण्ड षिमला	28.04.2010 से 14.05.2010 01.02.2011 से 31.03.2011
4	मैं0 मधुसूदन फ्रूट एण्ड वैजिटेबल, सब्जी मण्डी षिमला	16.07.2010 से 15.08.2010
5	मै0 आफसा एप्पल एजैन्सी सब्जी मण्डी षिमला	01.04.2010 से 30.04.2010 23.11.2010 से 02.12.2010
6	मैं0 श्याम लाल ठाकुर स्टॉल नम्बर 261, सब्जी मण्डी षिमला	01.04.2010 से 24.04.2010
7	मै0 कुषांग ट्रेडर्ज सब्जी मण्डी षिमला	01.04.2010 से 25.06.2010
8	मैं0 जे0पी0ट्रेडर्ज दुकान नम्बर 22, सब्जी मण्डी षिमला	01.11.2010 से 31.03.2011
9	मैं0 लाला अमरनाथ भाटिया एण्ड कम्पनी, दुकान नम्बर 3 ढली	01.04.2010 से 15.09.2010
10	मैं0 चौहान ब्रदरज दुकान नम्बर 5 ढली	01.05.2010 से 31.05.2010
11	मैं0 नरेष कुमार कैलाष चन्द ढली	01.04.2010 से 31.03.2011
12	मैं0 रावत फ्रूट ट्रेडर्ज दुकान नम्बर 2 ढली	14.10.2010 से 31.03.2011
13	मै0 विरेन्द्र सिंह दुकान नम्बर 30 ढली	16.12.2010 से 28.12.2010 10.02.2011 से 26.02.2011
14	मै0 सुन्टा फ्रूट कम्पनी दुकान नम्बर 4 ढली	01.04.2010 से 15.04.2010

		08.11.2010 से 31.03.2011
15	मै० करोल ब्रदरज दुकान नम्बर 60 ढली	14.11.2010 से 31.03.2011
16	मै० खन्ना फ्रूट कम्पनी दुकान नम्बर 42 ढली	12.10.2010 से 31.03.2011
17	मै० रिखी राम अमर नाथ दुकान नम्बर 48 लोअर बाजार	28.11.2010 से 31.03.2011
18	मै० श्रीराम ओम प्रकाश 34/05 अनाज मण्डी षिमला	01.04.2010 से 17.05.2010
19	मै० षिमला रोलर फ्लोर मिल्ल बस स्टैंड षिमला	01.12.2010 से 30.12.2010 01.02.2011 से 31.03.2011
20	मै० मिन्टू दी हट्टी कार्ट रोड षिमला	28.11.2010 से 31.12.2010
21	मै० काहन चन्द एण्ड सन्ज लोअर बाजार षिमला	28.12.2010 से 31.03.2011
22	मै० मन्सा राम सुर्दषन कुमार अनाज मण्डी षिमला	16.04.2010 से 20.07.2010
23	मै० चिरन्जी लाल गोकुल चन्द अनाज मण्डी षिमला	01.04.2010 से 21.04.2010 23.04.2010 से 18.05.2010 20.05.2010 से 23.06.2010 25.06.2010 से 18.07.2010 24.08.2010 से 09.09.2010 11.09.2010 से 08.10.2010 10.10.2010 से 23.11.2010 25.11.2010 से 18.01.2011 17.03.2011 से 31.03.2011
24	मै० राय चन्द दिवान चन्द, अनाज मण्डी षिमला	01.08.2010 से 31.08.2010
25	मै० मूल चन्द चुन्नी लाल, अनाज मण्डी षिमला	01.04.2010 से 31.03.2011
26	मै० बनवारी लाल देवी चन्द, लोअर बाजार षिमला	01.04.2010 से 22.03.2011
27	मै० पूरी एजैन्सी अनाज मण्डी षिमला	01.04.2010 से 31.03.2011
28	मै० चिरन्जी लाल फकीर चन्द अनाज मण्डी षिमला	01.04.2010 से 31.03.2011
29	मै० भगवती उद्योग अनाज मण्डी षिमला	27.04.2010 से 11.08.2010 15.08.2010 से 29.09.2010

		01.10.2010 से 05.12.2010
30	मै0 दीपक आषीष ट्रेडिंग कम्पनी कार्ट रोड षिमला	01.04.2010 से 17.05.2010 23.12.2010 से 21.01.2011 20.03.2011 से 31.03.2011
31	मै0 सूद ट्रेडर्ज, 36/03, गंज रोड षिमला	01.04.2010 से 31.03.2011
32	मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन तथा उपभोगता संघ समिति, षिमला	01.06.2010 से 14.07.2010
33	मै0 जे0डी0 ट्रेडिंग कम्पनी 35/01, अनाज मण्डी षिमला	16.02.2011 से 31.03.2011
34	मै0 राम लाल दुर्गा दास 65 लोअर बाजार षिमला	01.04.2010 से 31.03.2011
35	मै0 शर्मा डेली नीड न्यू षिमला	01.04.2010 से 19.06.2010
36	मै0 ठाकुर दास एण्ड सन्ज अनाज मण्डी षिमला	06.01.2011 से 31.03.2011
37	मै0 षिवनन्द राम चन्द अनाज मण्डी षिमला	01.04.2010 से 31.03.2011
38	मै0 करोल टिम्बर लक्कड बाजार षिमला	01.10.2010 से 31.03.2011
39	मै0 प्रदुमन राम सूद एण्ड सन्ज लक्कड बाजार षिमला	24.07.2010 से 31.08.2010
40	मै0 कृपा राम दलीप कुमार दुकान नम्बर 5 रामपुर	03.12.2010 से 31.03.2011
41	मै0 महावीर फ्रूट एण्ड बैजिटेबल कमीषन एजैन्ट दुकान नम्बर 9 रामपुर	01.04.2010 से 31.03.2011
42	मै0 साधू राम कृष्ण गोपाल ज्यूरी	29.12.2010 से 31.03.2011
43	मै0 एम0के0सी0 नारकण्डा	01.04.2010 से 05.08.2010 17.10.2010 से 31.03.2011
44	मै0 डोगरा ट्रेडर्ज नारकण्डा	01.04.2010 से 31.07.2010 28.10.2010 से 31.03.2011
45	मै0 न्यू अगमा कंडयाली नारकण्डा	01.11.2010 से 31.03.2011
46	मै0 राणा ट्रेडर्ज नारकण्डा	03.10.2010 से 31.03.2011
47	मै0 फ्रैंडस पोल्ट्री फार्म सांगला	01.04.2010 से 26.06.2010
48	मै0 कैलाष प्रोस्सड फ्रूड प्राईवेट लि0	04.09.2010 से 31.03.2011

49	मै० के०सी० नेगी फ्रूट एण्ड बै० शॉप सांगला	01.04.2010 से 31.03.2011
50	मै० देवी सिंह मीट शॉप सुंगरा किन्नौर	02.02.2011 से 31.03.2011
51	मै० निर्मल सिंह एण्ड कम्पनी कडच्छम किन्नौर	21.04.2010 से 30.09.2010
52	मै० अमर लाल एण्ड सन्ज भावानगर	12.02.2011 से 31.03.2011
53	मै० अदानी एग्री फ्रैष लि. बिथल	01.04.2010 से 10.06.2010 01.11.2010 से 31.03.2011
54	मै० पवन कुमार राजेश कुमार रिकॉगपियो	01.04.2010 से 09.11.2010
55	मै० फल एवं सब्जी उत्पादक संघ बन्नी कोटी	24.10.2010 से 31.03.2011
56	मै० भव्या ट्रेडिंग कम्पनी टूटू	01.09.2010 से 30.09.2010
57	मै० डी०एम० ट्रेडर्ज शोधी	16.02.2011 से 31.03.2011
58	मै० शिवम इन्डस्ट्रीज शोधी	01.02.2011 से 31.03.2011
59	मै० आर०पी० एपलायस इन्डस्ट्रीज एरिया शोधी	01.09.2010 से 30.09.2010
60	मै० अमर मीट शॉप दुकान नम्बर 1 शिमला	01.04.2010 से 31.03.2011
61	मै० सुदेश कुमारी स्टाल नम्बर 11 मीट मार्किट शिमला	01.04.2010 से 31.03.2011
62	मै० सिंह ब्रॉयलर नजदीक पंचायत भवन शिमला	01.04.2010 से 12.08.2010
63	मै० बिमल मीट शॉप स्टॉल नम्बर 3 मीट मार्किट शिमला	01.04.2010 से 31.03.2011
64	मै० पदम देव शर्मा नंगल देवी ठियोग	01.04.2010 से 31.03.2011
65	मै० देव भूमि कोल्ड चैन मतियाना	01.04.2010 से 03.08.2010
66	मै० महादेव फ्रूट कम्पनी भेकलटी ठियोग	01.04.2010 से 03.08.2010 09.09.2010 से 31.03.2011
67	मै० शिव शक्ति ट्रेडिंग कम्पनी नंगल देवी ठियोग	01.04.2010 से 31.07.2010 12.10.2010 से 31.03.2011
68	मै० रामा नन्द भारद्वाज दुकान नम्बर 1 ठियोग	01.09.2010 से 31.03.2011
69	मै० राजेश शर्मा, फ्रूट एण्ड वैजिटेबल कमीषन ऐजैन्ट जैस घाटी ठियोग	08.05.2010 से 31.03.2011

70	मै० राम लाल शर्मा एण्ड ब्रदर्स दुकान नम्बर 19 ठियोग	01.11.2010 से 31.03.2011
71	मै० राजेश शर्मा एण्ड कम्पनी जैसघाटी ठियोग	19.12.2010 से 31.03.2011
72	मै० शोभा देवी एण्ड सन्ज दुकान नम्बर 6 ठियोग	01.04.2010 से 31.03.2011
73	मै० ओम प्रकाश वर्मा एण्ड सन्ज/दुकान नम्बर 17 ठियोग	01.04.2010 से 31.05.2010
74	मै० मुन्षी राम रोषन लाल ठियोग	01.04.2010 से 30.04.2010 01.06.2010 से 15.07.2010
75	मै० राम लाल शर्मा दुकान नम्बर 19 जैस घाटी ठियोग	15.09.2010 से 31.10.2010
76	मै० तिलक राज एण्ड सन्ज दुकान नम्बर 8 ठियोग	01.04.2010 से 03.06.2010
77	मै० पी०यू०ए० डुमेहर चियोग	01.07.2010 से 31.03.2011
78	मै० संजीव शर्मा वैजिटेबल एण्ड फ्रूट शॉप जैस घाटी ठियोग	09.09.2010 से 31.03.2011
79	मै० ठाकुर औरचर्ड सैंज मार्सुल ठियोग	01.04.2010 से 08.10.2010 14.11.2010 से 31.03.2011
80	मै० प्रदीप कुमार सूद प्रेम घाट ठियोग	06.02.2011 से 31.03.2011
81	मै० शिव राम शर्मा शॉप नम्बर 21 ठियोग	01.04.2010 से 30.06.2010 01.09.2010 से 30.03.2011
82	मै० महेष्चरी फ्रूट एण्ड वैजिटेबल कम्पनी छैला	01.04.2010 से 31.03.2011
83	मै० तारा दत्त शर्मा बैजिटेबल एण्ड फ्रूट शॉप छैला	01.04.2010 से 24.10.2010
84	मै० रामा नन्द वर्मा शॉप नम्बर 1 ठियोग	01.04.2010 से 31.03.2011
85	मै० गेंदा मल बैजिटेबल एण्ड फ्रूट शॉप ठियोग	01.04.2010 से 26.08.2010
86	मै० राजेश चौहान सैंज ठियोग	01.04.2010 से 02.12.2010
87	मै० हरबजन सिंह, बैजिटेबल एण्ड फ्रूट शॉप बसन्तपुर	01.04.2010 से 31.03.2011
88	मै० पी०ए०एस०यू०एस केलपी जदून ठियोग	03.08.2010 से 31.03.2011
89	मै० जसवन्त ठाकुर दुकान नम्बर 7 नेरवा	01.04.2010 से 31.05.2010 13.07.2010 से 31.03.2011

90	मै० महेष्कर महाराज मषराह दुकान नम्बर 10 नेरवा	01.04.2010 से 02.07.2010
91	मै० भिमला सोलन फ्रूट एण्ड वैजिटेबल कम्पनी दुकान नम्बर 8 नेरवा	01.04.2010 से 31.05.2010
92	मै० हैप्पी फ्रूट एण्ड वैजिटेबल कम्पनी दुकान नम्बर 6 नेरवा	01.04.2010 से 31.05.2010
93	मै० महेन्द्रा ट्रेडिंग कम्पनी दुकान नम्बर 16 नेरवा	01.04.2010 से 11.09.2010
94	मै० स्वास्तीक फ्रूट एण्ड वैजिटेबल कम्पनी दुकान नम्बर 2 नेरवा	01.04.2010 से 31.03.2011
95	मै० शिवालिक फ्रूट एण्ड वैजिटेबल कम्पनी दुकान नम्बर 1 नेरवा	01.04.2010 सेक 23.06.2010
96	मै० अन्नपूर्ण एप्पल एसोसिएट दुकान नम्बर 15 नेरवा	01.04.2010 से 09.09.2010
97	मै० संजीव कुमार मीट शॉप रोहडू	04.12.2010 से 31.03.2011
98	मै० बाल कृष्ण मीट शॉप कोटखाई	01.04.2010 से 31.03.2011
99	मै० भागा राम मीट शॉप खड़ापत्थर	01.03.2011 से 31.03.2011
100	मै० श्याम लाल मीटर शॉप चिड़गांव	28.11.2010 से 31.03.2011
101	मै० राज कुमार मीट शॉप रोहडू	11.01.2011 से 31.03.2011
102	मै० मषहूर चिकन शॉप रोहडू	18.08.2010 से 31.03.2011
103	मै० पप्पू ब्रदर्ज मीट शॉप रोहडू	25.09.2010 से 31.03.2011
104	मै० जगन नाथ मीट शॉप रोहडू	01.10.2010 से 31.03.2011
105	मै० पृथ्वी राज चौहान रोहडू	01.04.2010 से 08.07.2010 04.09.2010 से 31.03.2011
106	मै० कृष्ण कान्त रोहडू	01.04.2010 से 27.06.2010 28.07.2010 से 31.03.2011
107	मै० नटवर लाल रोहडू	01.04.2010 से 31.03.2011
108	मै० राजेश बम्टा रोहडू	01.04.2010 से 11.07.2010 11.10.2010 से 31.03.2011

109	मै० मेहर सिंह, शॉप नम्बर 19 रोहडू	01.05.2010 से 22.07.2010 22.08.2010 से 31.03.2011
110	मै० एस०एस० फ्रूट कम्पनी रोहडू	11.10.2010 से 31.03.2011
111	मै० जे०एस०सी० रोहडू	01.04.2010 से 31.03.2011
112	मै० योमेन फ्रूट कम्पनी रोहडू	01.04.2010 से 12.07.2010 20.08.2010 से 31.03.2011
113	मै० तनम सिंह रोहडू	01.04.2010 से 04.08.2010 01.09.2010 से 31.03.2011
114	मै० जाखिर फ्रूट कम्पनी रोहडू	07.10.2010 से 31.03.2011
115	मै० एस०के० फ्रूट कम्पनी रोहडू	10.10.2010 से 31.03.2011
116	मै० ए०टी०सी० फ्रूट कम्पनी रोहडू	14.10.2010 से 31.03.2011
117	मै० गगन राम फ्रूट कम्पनी रोहडू	22.10.2010 से 31.03.2011
118	मै० दिव्य फ्रूट एण्ड वैजिटेबल कम्पनी	27.09.2010 से 31.03.2011
119	मै० फिफ्टा फ्रूट कम्पनी रोहडू	11.09.2010 से 31.03.2011
120	मै० शिव आकाश फ्रूट कम्पनी रोहडू	06.10.2010 से 31.03.2011
121	मै० शिव फ्रूट सैन्टर रोहडू	14.08.2010 से 31.03.2011
122	मै० पाला राम मीट शॉप खड़ापत्थर	11.12.2010 से 31.03.2011
123	मै० माँ हाटेष्चरी फ्रूट रोहडू	14.10.2010 से 31.03.2011
124	मै० शोघी फ्रूट कम्पनी रोहडू	15.10.2010 से 31.03.2011
125	मै० मोहन ट्रेडर्ज रोहडू	11.06.2010 से 31.03.2011
126	मै० पृथ्वी राज ईष्वर सिंह एण्ड कम्पनी रोहडू	29.09.2010 से 31.03.2011
127	मै० सी०एक्स०एस० फ्रूट कम्पनी रोहडू	25.09.2010 से 31.03.2011
128	मै० एस०एक्स०सी० फ्रूट कम्पनी रोहडू	21.10.2010 से 31.03.2011

129	मै० कार्तिक फ्रूट कम्पनी रोहडू	29.09.2010 से 31.03.2011
130	मै० आर०एच०एस० फ्रूट कम्पनी, रोहडू	25.09.2010 से 31.03.2011
131	मै० शम्भव ट्रेडिंग कम्पनी, रोहडू	05.10.2010 से 03.03.2011
132	मै० रमेश फ्रूट ट्रेडर्स रोहडू	17.09.10 से 31.03.2011
133	मै० रोषन जीरान मीट शॉप, रोहडू	01.04.2010 से 31.03.2011
134	मै० रियाजुदीन अब्दुल्ला, रोहडू	20.10.2010 से 31.03.2011
135	मै० संत लाल मीटर शॉप दयोली, रोहडू	23.10.2010 से 31.03.2011
136	मै० जै० आर०एस० फ्रूट कम्पनी, रोहडू	28.08.2010 से 31.03.2011
137	मै० अन्ना ऐपल एजैन्सी रोहडू	08.09.2010 से 31.03.2011
138	मै० प्रकाश चन्द, रोहडू	01.04.2010 से 31.03.2011
139	मै० संजीव कुमार सचिन कुमार, रोहडू	20.09.2010 से 31.03.2011
140	मै० जयवन्त सिंह नेगी, रोहडू	11.08.2010 से 31.03.2011
141	मै० योजविन्दर सिंह रोहडू	19.10.2010 से 31.03.2011
142	मै० कलम सिंह, दुकान नम्बर 13, रोहडू	22.09.2010 से 31.03.2011
143	मै० पवन बाजटा रोहडू	01.04.2010 से 31.03.2011
144	मै० पदम सिंह, रोहडू	01.10.2010 से 31.03.2011
145	मै० हिणु दास एण्ड कम्पनी, रोहडू	04.10.2010 से 31.03.2011
146	मै० आर०वी० ट्रेडर्स रोहडू	10.11.2010 से 31.03.2011
147	मै० पन्ना लाल शाप नम्बर 25 रोहडू	01.04.2010 से 31.03.2011
148	मै० एन०एस० फ्रूट कम्पनी रोहडू	01.04.2010 से 24.07.2010 04.10.2010 से 31.03.2011
149	मै० शिव फ्रूट कम्पनी रोहडू	01.04.2010 से 13.07.2010 08.09.2010 से 31.03.2011
150	मै० आर०एस०सी० रोहडू	01.04.2010 से 31.03.2011

151	मै० बलबन्त फ्रूट कम्पनी रोहडू	16.08.2010 से 31.03.2011
152	मै० राजेश कुमार फ्रूट कम्पनी रोहडू	08.10.2010 से 31.03.2011
153	मै० लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी रोहडू	01.10.2010 से 31.03.2011
154	मै० ध्रुव ट्रेडिंग कम्पनी रोहडू	06.09.2010 से 31.03.2011
155	मै० चकरोला फ्रूट कम्पनी रोहडू	17.10.2010 से 31.03.2011
156	मै० के०टी०सी० फ्रूट कम्पनी रोहडू	10.10.2010 से 31.03.2011
157	मै० यष फ्रूट कम्पनी रोहडू	10.10.2010 से 31.03.2011
158	मै० मैहर सिंह, रोहडू	09.09.2010 से 31.03.2011
159	मै० ब्रागटा फ्रूट कम्पनी रोहडू	01.04.2010 से 23.07.2010 07.10.2010 से 31.03.2011
160	मै० एम०जी० फ्रूट कम्पनी रोहडू	01.04.2010 से 12.07.2010 12.10.2010 से 31.03.2011
161	मै० प्रेम सिंह ठाकुर, रोहडू	01.04.2010 से 18.07.2010 01.10.2010 से 31.03.2011
162	मै० राय फ्रूट कम्पनी रोहडू	01.04.2010 से 14.07.2010 01.09.2010 से 31.03.2011
163	मै० सुषील फ्रूट कम्पनी रोहडू	01.04.2010 से 13.07.2010 09.08.2010 से 31.03.2011
164	मै० प्रताप शर्मा रोहडू	01.04.2010 से 08.08.2010 01.09.2010 से 31.03.2011
165	मै० शाई राम, फ्रूट कम्पनी रोहडू	01.05.2010 से 14.09.2010
166	मै० अहमद खान, रोहडू	01.04.2010 से 17.07.2010 15.10.2010 से 31.03.2011
167	मै० सूर्यदीप सिंह ठाकुर, रोहडू	01.04.2010 से 19.07.2010 21.10.2010 से 31.03.2011
168	मै० मोहन रान्टा, रोहडू	01.04.2010 से 31.03.2011

169	मै० करतार सिंह नैहर सिंह, रोहडू	01.04.2010 से 22.07.2010 08.10.2010 से 31.03.2011
170	मै० वी०एफ०सी० रोहडू	18.09.2010 से 31.03.2011
171	मै० विषन सिंह संजय कुमार, रोहडू	01.04.2010 से 31.03.2011
172	मै० अषोक कुमार रोहडू	01.04.2010 से 31.03.2011
173	मै० गंजन फार अली, रोहडू	01.04.2010 से 20.07.2010 13.10.2010 से 31.03.2011
174	मै० सोहन सिंह ठाकुर, रोहडू	07.10.2010 से 31.03.2011
175	मै० जिया लाल, शॉप नम्बर 20 रोहडू	01.04.2010 से 11.07.2010 13.09.2010 से 31.03.2011
176	मै० दलीप कुमार, रोहडू	01.04.2010 से 11.07.2010 22.09.2010 से 31.03.21011
177	मै० राजेन्द्र ठाकुर, रोहडू	01.04.2010 से 18.07.2010 30.08.2010 से 31.03.2011
178	मै० फरीद अहमद रोहडू	01.04.2010 से 04.07.2010
179	मै० सुरेश फ्रूट कम्पनी रोहडू	01.04.2010 से 07.07.2010 03.09.2010 से 31.03.2011
180	मै० कृष्ण शर्मा, रोहडू	01.04.2010 से 31.03.2011
181	मै० पब्बर सिंह, रोहडू	01.04.2010 से 31.03.2011
182	मै० दैसता फ्रूट कम्पनी रोहडू	01.04.2010 से 28.07.2010 17.09.2010 से 31.03.2011
183	मै० चमन शर्मा, (DFC) रोहडू	18.10.2010 से 31.03.2011
184	मै० प्रषान्त फाल्टा, रोहडू	01.04.2010 से 23.07.2010. 14.10.2010 से 31.03.2011
185	मै० प्रवीण टैगटा व देव राज बागटा रोहडू	01.04.2010 से 12.07.2010

		05.11.2010 से 31.03.2011
186	में० रामेष्वर नन्द, रोहडू	01.04.2010 से 31.03.2011
187	में० मनोज कुमार, रोहडू	01.04.2010 से 31.03.2011
188	में० प्रमोद सिंह, रोहडू	01.04.2010 से 31.03.2011
189	में० कुलदीप फ्रूट कम्पनी रोहडू	12.10.2010 से 31.03.2011
190	में० कैलाष चन्द, दुकान नम्बर 26 रोहडू	01.04.2010 से 31.03.2011
191	में० असमत फ्रूट एण्ड वैजिटेबल कम्पनी रोहडू	01.04.2010 से 31.03.2011
192	में० जयवर्धन खुराना, शाप नम्बर 1 रोहडू	01.04.2010 से 31.03.2011
193	में० योगेश बांषट्ट, रोहडू	01.04.2010 से 31.03.2011
194	में० फारूक अहमद रोहडू	01.04.2010 से 24.07.2010 05.10.2010 से 31.03.2011
195	में० संजीव मैहता, रोहडू	01.04.2010 से 22.07.2010 06.10.2010 से 31.03.2011
196	में० नीरप ट्रेडिंग कम्पनी चिड़गांव	03.10.2010 से 31.03.2011
197	में० देवा फ्रूट कम्पनी, रोहडू	01.04.2010 से 17.09.2010 18.10.2010 से 18.11.2010
198	में० रमेश सिंह रोहडू	16.10.2010 से 31.03.2011
199	में० चौहान फ्रूट सैन्टर, जुब्बल	01.04.2010 से 16.08.2010 23.10.2010 से 31.03.2011
200	में० भाग चन्द, मीट शॉप रोहडू	10.10.2010 से 31.03.2011
201	में० न्यू हटेष्चरी फ्रूट कम्पनी रोहडू	20.10.2010 से 31.03.2011
202	में० जय फ्रूट ट्रेडर्ज रोहडू	01.10.2010 से 31.03.2011
203	में० ए०ए०एस० फ्रूट कम्पनी रोहडू	06.09.2010 से 31.03.2011
204	में० ज्यौती फ्रूट ट्रेडर्ज, रोहडू	11.10.2010 से 31.03.2011
205	में० के०बी० फ्रूट कम्पनी रोहडू	26.09.2010 से 31.03.2011

206	मै0 षिवानी फ्रूट कम्पनी रोहडू	20.08.2010 से 31.03.2011
207	मै0 ए0एक्स0 आर0 फ्रूट कम्पनी रोहडू	24.09.2010 से 31.03.2011
208	मै0 एस0एक्स0एस0 फ्रूट कम्पनी रोहडू	17.10.2010 से 31.03.2011
209	मै0 पैप्ता ब्रदरज एण्ड कम्पनी रोहडू	25.08.2010 से 31.03.2011
210	मै0 लक्ष्य फ्रूट कम्पनी रोहडू	05.10.2010 से 31.03.2011
211	मै0 जय0एस0 फ्रूट कम्पनी रोहडू	16.10.2010 से 31.03.2011
212	मै0 अरविन्द फ्रूट कम्पनी रोहडू	15.10.2010 से 31.03.2011
213	मै0 सूर्या ए0 फ्रूट कम्पनी रोहडू	19.10.2010 से 31.03.2011
214	मै0 आर0के0 फ्रूट कम्पनी रोहडू	20.10.2010 से 31.03.2011
215	मै0 नाप्ता फ्रूट कम्पनी, रोहडू	18.09.2010 से 31.03.2011
216	मै0 आदित्य फ्रूट कम्पनी रोहडू	21.10.2010 से 31.03.2011
217	मै0 जी0एस0एस0 फ्रूट कम्पनी रोहडू	14.09.2010 से 31.03.2011
218	मै0 महेष्चरी ट्रेडिंग कम्पनी रोहडू	10.10.2010 से 31.03.2011